

आईएसएसएन : 2457-015X



बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल



अक्तूबर 2020-मार्च 2021

वर्ष 33 ♦ अंक 01

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

संपादक मंडल

संरक्षक

साधना वर्मा

मुख्य महाप्रबंधक, राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

अध्यक्ष

श्रीमोहन यादव

मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

प्रबंध संपादक

काजी मुहम्मद ईसा

महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

उप प्रबंध संपादक

राजेंद्र सिंह सेंगर

उप महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

कार्यकारी संपादक

डॉ. सुशील कृष्ण गोरे

उप महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

सदस्य-सचिव

राहुल राजेश

प्रबंधक
राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

सदस्य

ब्रिज राज

महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय,
पटना

एस. सी. रथ

महाप्रबंधक एवं
संकाय, रिज़र्व बैंक
स्टाफ महाविद्यालय,
चेन्नै

डॉ. आशीष श्रीवास्तव

उप महाप्रबंधक
एवं संकाय,
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय,
पुणे

दिवाकर झा

सहायक महाप्रबंधक
एवं संकाय,
स्टेट बैंक ग्रामीण
बैंकिंग संस्थान,
हैदराबाद

राजीव जमुआर

मुख्य प्रबंधक
एवं संकाय, यूनियन
बैंक स्टाफ
महाविद्यालय, बंगलुरु

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक

राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
सी-9, आठवीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला संकुल
मुंबई-400051
कॉर्पोरेट ईमेल: rajbhashaco@rbi.org.in
फोन: 022-26572801

संपादकीय सहयोग

राधेश्याम मिश्र

सहायक महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

कला सहयोग

अभय मोहिते

सहायक प्रबंधक
डीईपीआर
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

श्री काजी मुहम्मद ईसा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, आठवीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051 के लिए संपादित और प्रकाशित।

इंटरनेट (<https://www.rbi.org.in/hindi>) पर भी उपलब्ध।



बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

अक्तूबर 2020- मार्च 2021

वर्ष 33 ❖ अंक 01

संपादकीय

भाषण

- ❖ संवृद्धि के लिए नए अवसरों का सृजन – शक्तिकांत दास

आलेख

- ❖ कोविड-19 महामारी : भारतीय बैंकों की भूमिका – मनीष मंडा
- ❖ बढ़ता एनपीए बैंकिंग विकास में बाधक : समस्या व समाधान – तन्मय श्रीवास्तव
- ❖ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 – उमेश कुमार
- ❖ स्टार्टअप की कथा-यात्रा – अशोक कुमार यादव
- ❖ बैंक में मानव संसाधन का समुचित प्रबंधन : समय की आवश्यकता – राजीव कुमार
- ❖ देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई का योगदान – मधु द्विवेदी

स्थायी स्तंभ

- ❖ रेग्युलेटर की नज़र से – ब्रिज राज
- ❖ घूमता आईना
राष्ट्रीय खंड – डॉ. करुणेश तिवारी
अंतरराष्ट्रीय खंड– डॉ. गौतम प्रकाश

इस पत्रिका के लेखों में दिये गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

लेआउट, साज-सज्जा और टाइप-सेटिंग : राहुल राजेश
[सभी चित्र इंटरनेट से साभार]



संपादकीय...

इस बार यहाँ क्या लिखूँ! कुछ समझ में नहीं आता। चारों तरफ खौफ और बेबसी का एक अजीब-सा मंजर पसरा है। हर चेहरा मायूस और गमजदा है और चप्पा-चप्पा वीरान है।

पूरा देश एक बार फिर महामारी की विनाश-लीला की गिरफ्त में है। सरकारें, संस्थाएं, मेडिकल सुविधाएं, सेनाओं के तीनों अंग, रेलवे, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि दिन-रात इस महामारी से जनता की रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। हम पत्रिका और उसके पाठकों की ओर से इन सभी सरकारी एवं निजी संगठनों और उनके कर्मठ, जुझारू एवं मानवता को समर्पित योद्धाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

माना कि महामारी की दूसरी लहर की चुनौती बहुत गंभीर है लेकिन मुझे मनुष्य की जिजीविषा और ईश्वर के न्याय में भी अटूट विश्वास है। हम इस बार भी इस महामारी को पछाड़कर आगे बढ़ेंगे। बस हमें हर संभव सावधानियाँ बरतनी हैं। घर हो या दफ्तर, हर जगह कोविड से बचाव के लिए निर्धारित व्यवहार (कोविड-एप्रोप्रिएट बिहेवियर) का पालन करना है। हर समय मास्क पहनना है। दो गज की दूरी का पालन करना है। अनावश्यक घर से बाहर नहीं घूमना है।

कोरोना संकट से बचाव का एक हथियार टीका भी है। निःसंकोच हमें कोरोना का टीका लगवा लेना चाहिए। भारत सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को भी यह वैक्सीन लग सकेगा। हम सबको यथाशीघ्र वैक्सीन लगवाकर अपने घर-परिवार को सुरक्षित करना है।

वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों से भी अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा पैदा हुई है। बजट में महामारी से प्राप्त अनुभवों को आधार बनाकर कुछ बहुत जरूरी सेक्टरों के पुनर्निर्माण एवं पुनरुद्धार को मुख्य फोकस में रखा गया है, मसलन हेल्थ-इंफ्रास्ट्रक्चर, नवोन्मेष एवं शोधा कोविड-19 से हुई विश्वव्यापी तबाही ने दुनिया के देशों को चेता दिया है कि प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे गंभीर चुनौती है।

कोरोना की दूसरी लहर ने भी हमें पुनः सचेत कर दिया है कि हमें अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को निरंतर दुरुस्त करते रहने की बहुत जरूरत है ताकि हम ऐसी किसी भी महामारी का सामना, न्यूनतम नुकसान के साथ, करने में सक्षम हो सकें।

बहरहाल, 'बैंकिंग चिंतन-अनुचितन' का यह नया अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस अंक से पत्रिका की प्रस्तुति एवं कलेवर में थोड़ा-सा परिवर्तन करते हुए इसके स्थायी स्तंभ 'धूमता आईना' में अंतरराष्ट्रीय खंड भी जोड़ा गया है। सदैव की भांति इस अंक के संयोजन एवं संपादन में हमें अपने विद्वत संपादक मंडल के वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्यों का पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन मिला है। इस अंक में भी विषयों की विविधता और प्रासंगिकता को संतुलित करते हुए आलेखों का समावेश किया गया है।

इस बार आप गवर्नर महोदय के एक महत्वपूर्ण भाषण के साथ-साथ, कोविड महामारी में बैंकों की भूमिका पर श्री मनीष मंडा, बढ़ते एनपीए पर श्री तन्मय श्रीवास्तव, एनबीएफसी के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना पर श्री उमेश कुमार, स्टार्टअप

की कथा-यात्रा पर श्री अशोक कुमार यादव, बैंकों में मानव-संसाधन प्रबंधन पर श्री राजीव कुमार और देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के योगदान पर श्रीमती मधु द्विवेदी के आलेख पढ़ पाएंगे। इस बहुमूल्य योगदान के लिए हम सभी लेखकों और स्तंभकारों के प्रति आभारी हैं।

आशा करता हूँ, पत्रिका का यह नवीनतम अंक आपकी अपेक्षाओं एवं मूल्यांकन की कसौटी पर हर बार की तरह खरा उतरेगा। आपका कोई सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका पढ़ने के बाद एक पत्र लिखकर जरूर भेजें।

पाठक का पत्र ही वह सबसे बड़ा आलेख होता है जिसे कोई लेखक किसी पत्रिका के अगले अंक में सबसे पहले ढूँढ़ता है। पाठक की सच्ची प्रतिक्रिया लेखक की रचनात्मक ऊर्जा में सबसे बड़े एवं उत्प्रेरक निवेश का काम करती है।

अगले अंक के साथ आपसे फिर मिलेंगे... तब तक आप अपना, अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ स्वस्थ रहें। सुरक्षित रहें। और हाँ, 'दवाई भी और कड़ाई भी' का मूल मंत्र कभी न भूलें!

आप सबको अशेष शुभकामनाओं सहित!

- काजी मु. ईसा
प्रबंध संपादक एवं महाप्रबंधक

भाषण

संवृद्धि के लिए नए अवसरों का सृजन

- शक्तिकांत दास

गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

(बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में गुरुवार, 25 फरवरी, 2021 को दिया गया मुख्य संबोधन)

मैं सबसे पहले बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। बेशक यह संबोधन आभासी माध्यम पर होगा क्योंकि यही मौजूदा समय की बाध्यकारी वास्तविकता है। मैं बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को 184 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। देश के सबसे पुराने सेवारत चैंबर होने के साथ-साथ, आपने इस शहर के ही नहीं बल्कि राष्ट्र के भाग्य पर भी अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है।



यह नोट करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 'कॉर्पोरेट एज अ सिटीजन' के तत्वावधान में, कारोबार में नैतिक व्यवहार, कौशल प्रशिक्षण एवं संतुलित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करते हुए, यह चैंबर वृहत्तर और अधिक समतापूर्ण प्रगति पर फोकस कर रहा है। आप अपने प्रयासों में पूर्णतः सफल हों, इसके लिए मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस महामारी से उत्पन्न नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए चैंबर हर संभव कोशिश कर रहा है। वस्तुतः, आज का अपना संबोधन मैं 'संवृद्धि के लिए नए अवसरों का सृजन' विषय पर केंद्रित करूँगा।

2. यद्यपि महामारियाँ दुर्लभ घटनाएँ होती हैं और वे शायद ही अपने पिछले अध्यायों को दुहराती हों, लेकिन उनके प्रभावों और नीतिगत उपायों के

अध्ययन से हमें बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। भारत में ऐसी चार भयंकर महामारियों, नामतः 1896 के प्लेग, 1918 की स्पैनिश फ्लू, 1958 की एशियन फ्लू और 1974 के चेचक ने दर्शाया है कि इन सभी महामारियों के दौरान जीडीपी में संकुचन/मंदी आई है। और, जान-माल की क्षति के हिसाब से, 1918 की स्पैनिश फ्लू 'मदर ऑफ

ऑल पैनडेमिक्स' यानी सभी महामारियों की जननी रही। हालांकि यह देखा गया कि रिकवरी तेज थी और महामारी फैलने के दो वर्षों के भीतर यह रिकवरी पूरी हो गई थी। केवल स्पैनिश फ्लू की महामारी इसका

अपवाद रही जिसमें चार वर्ष बाद 1922 में जीडीपी प्रति व्यक्ति, महामारी-पूर्व स्तर पर दुबारा पहुँच पाई।

इन महामारियों के बाद नीतिगत उपायों में चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए प्रावधान करने और इसके साथ ही, अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभावों को कम करने पर अनिवार्य रूप से फोकस किया गया। यह देखा गया कि संवृद्धि, सरकारी व्यय पर अत्यधिक निर्भर हो गई, जबकि अपवादस्वरूप किए गए राजकोषीय उपायों से समय पर और सुचिन्तित तरीके से बाहर निकलना निकट भविष्य में समष्टिआर्थिक स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अर्थव्यवस्था को स्थायी आधार पर पुनर्जीवित करने के लिए, निजी उपभोग पर व्यय एवं निवेश को तेज करने पर नीतिगत फोकस करना ही सबसे जरूरी था।

कोविड-19 के दौरान राजकोषीय और मौद्रिक नीतिगत उपाय

3. पिछला वर्ष पूरे विश्व में अकल्पनीय कष्टों और दुखों का साक्षी रहा है और इसमें जान-माल की बहुत ही भयंकर क्षति हुई है। पूरे विश्व की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने इसके विनाशकारी प्रभावों से लड़ने के लिए सभी परंपरागत और अपरंपरागत नीतिगत उपाय किए। वैश्विक स्तर पर, सरकारों ने महामारी की रोकथाम के लिए 2020 में बड़े-बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज दिये, जो करीब 14 ट्रिलियन डॉलर (वैश्विक जीडीपी का 13.5 प्रतिशत) था (आईएमएफ, 2021)। और इसके परिणामस्वरूप, घाटा और कर्ज के स्तरों में उछाल आ गया।

भारत में भी, केंद्रीय सरकार ने आर्थिक पैकेजों की एक श्रृंखला घोषित की, जिसमें सबसे पहले समाज के कमजोर तबकों को बचाने पर फोकस किया गया। इसके बाद, संवृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए उपभोग और निवेश को गति प्रदान करने हेतु प्रति-चक्रीय उपाय किए गए।

4. दूसरी तरफ, केंद्रीय बैंकों ने, अग्रसक्रिय होकर कई परंपरागत और अपरंपरागत मौद्रिक नीति संबंधी उपायों की रूपरेखा बनाई और उन्हें कार्यान्वित किया, जो उनके अनुभवों और पिछले संकटों, और खासकर 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) पर आधारित थे। अधिकतर केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दरें घटा दी हैं, पात्र प्रतिपक्षकारों के दायरे को बढ़ा दिया है और समपाश्चिक नियमों को आसान बना दिया है, वहीं रेपो परिचालनों की मात्रा और अवधि को भी बढ़ा दिया है। उन्होंने, महामारी-जनित उच्च अनिश्चितता को कम करने और निम्नतर दीर्घावधि ब्याज दरों की सुविधा देने के लिए, अपने आस्ति खरीद कार्यक्रम (एपीपी) भी विस्तारित कर दिये हैं। इन उपायों को, भविष्य की मौद्रिक नीति के 'रुख' को संप्रेषित करते हुए, अंतर्निहित और सुस्पष्ट भावी मार्गदर्शन (फॉरवर्ड गाइडेंस) से और अधिक सशक्त बनाया गया।

5. भारत में, रिज़र्व बैंक ने कोविड-19 के मद्देनजर कई परंपरागत और अपरंपरागत उपाय किए। अपरंपरागत उपायों के अलावा, आरबीआई ने दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओ) और लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की शुरुआत की ताकि सिस्टम और क्षेत्र-विशेष चलनिधि को बेहतर बनाया जा सके और क्षेत्रवार ऋण अवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा दबाव को दूर किया जा सके। कतिपय अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) को विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं, वहीं मोचन दबावों को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड के लिए विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ-एमएफ) की भी शुरुआत की गई। कई केंद्रीय बैंकों के विपरीत, आरबीआई की आस्ति खरीद से इसके तुलन पत्र पर प्रभाव नहीं पड़ा और इसलिए, इसने केंद्रीय बैंकिंग के मूल सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। ये खरीद जोखिम-मुक्त राष्ट्रिक बॉन्डों (राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों सहित) तक सीमित थीं।

वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाले बिना, अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों को प्रोत्साहित करना ही हमारा फोकस था। साथ ही, सहकारी परिणाम हासिल करने के लिए, भावी मार्गदर्शन (फॉरवर्ड गाइडेंस) ने रिज़र्व बैंक की संचार रणनीति में प्रमुखता पा ली। रिकवरी को बल देने के लिए प्रचुर चलनिधि सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता ने चलनिधि संबंधी भय को दूर कर दिया और बाजार के मनोभावों को बल प्रदान किया। हम वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए, प्रचुर चलनिधि के प्रावधान के जरिये रिकवरी प्रक्रिया को समर्थन देना जारी रखेंगे।

व्यापार और भुगतान संतुलन पर प्रभाव

6. जीडीपी और व्यापार में कोविड-19 जनित गिरावट के प्रभाव की तुलना यदि 2008 के जीएफसी से की जाए तो विपरीत प्रवृत्तियों का पता चलता है। 2020 के दौरान वैश्विक जीडीपी में अनुमानतः 3.5 प्रतिशत का संकुचन हुआ है, जो

जीएफसी के दौरान हुए 0.1 प्रतिशत की तुलना में बहुत ज्यादा है। वहीं 2020 के दौरान वाणिज्यिक व्यापार में 9.2 प्रतिशत संकुचन हुआ है जबकि 2009 में यह 2.3 प्रतिशत था। इस भिन्नतायुक्त पैटर्न के पीछे, हाल के घटनाक्रम के दौरान विभिन्न देशों में लॉकडाउन से प्रेरित विभिन्न घरेलू कारकों की ही प्रमुख भूमिका रही होगी।

7. यद्यपि वाणिज्यिक व्यापार में 2020 के अंत से पुनरुद्धार के प्रारम्भिक संकेत मिलने लगे हैं, सेवा क्षेत्र में रिकवरी अभी भी गति नहीं पकड़ पायी है क्योंकि सुस्त सीमापार पर्यटन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण इस क्षेत्र के समग्र प्रदर्शन पर अब भी असर पड़ रहा है। कुछेक एशियाई देशों और चिकित्सा उपकरणों एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे कतिपय क्षेत्रों द्वारा हासिल की गई असमान वैश्विक व्यापार रिकवरी, इसकी निरंतरता के बारे में चिंताएँ पैदा करती हैं। वैश्विक व्यापार गतिविधियों के पुनरुद्धार में एक महत्वपूर्ण बाधा है वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अब भी जारी व्यवधान। नवंबर 2020 से लदान लागतों में बहुत तेज वृद्धि हुई है और माल सुपुर्दगी समय भी खिंच गया है, जिससे सामान की कीमतों में तेजी आई है। इन मुद्दों पर समूचे विश्व के नीति निर्माताओं द्वारा तत्काल ध्यान दिया जाना अपरिहार्य है।

8. माँग और आपूर्ति आघातों का प्रभाव भुगतान संतुलन पर भी परिलक्षित होता है। एक ओर, पण्य-निर्यातक देशों ने, अपने व्यापार के निवल मान पर ऋणात्मक आघातों के कारण, चालू खाते में निम्नतर अधिशेषों का सामना किया, वहीं दूसरी ओर, भारत जैसे निवल पण्य-आयातक देश इससे लाभान्वित हुए और कम घाटा दर्ज किया। यहाँ तक कि अधिशेष भी दर्ज किया।

कच्चे तेल की कीमतें कम होने और महामारी के आरंभिक दिनों में कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन के कारण कमजोर मांग होने की वजह से अप्रैल-जनवरी 2020-21 के दौरान भारत के तेल आयात बिल में 42.5 प्रतिशत की कमी आई। वस्तुओं के व्यापार के विपरीत, यात्रा प्रतिबंधों के

कारण यात्रा से होने वाली आय में तेजी से हुई गिरावट के बावजूद भारत के सेवा क्षेत्र का निवल निर्यात अपेक्षाकृत सुदृढ़ रहा। अधिकांश अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत के सेवा क्षेत्र के निर्यात को सॉफ्टवेयर निर्यात से बल मिला। घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों को कोर ट्रांसफॉर्मेशन सेवाओं के लिए वैश्विक मांग बढ़ने से लाभ मिला क्योंकि महामारी के दौरान उनके ग्राहकों का फोकस आईटी संचालन के लिए नए मॉडल पर केंद्रित रहा। मेजबान देशों में बड़े पैमाने पर नौकरियां समाप्त होने के कारण विप्रेषण के अंतर्वाहों में कमी आई। इसके बावजूद व्यापार घाटा कम होने और सेवाओं का निवल निर्यात मजबूत होने की बदौलत विप्रेषण में आई गिरावट की अच्छी खासी भरपाई हुई।

9. जैसा कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) द्वारा उल्लेख किया गया है, भारत के आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का रुख वैश्विक प्रवृत्ति के विपरीत रहा और डिजिटल क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने के कारण इसमें वर्ष 2020 में सकारात्मक रूप से वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में, भारत में 40.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ जो एक साल पहले के 31.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था।

भारत के आशावादी विकास दृष्टिकोण और पर्याप्त वैश्विक चलनिधि की स्थिति ने भी वर्ष 2020-21 (19 फरवरी तक) में घरेलू इक्विटी बाजार में 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रेरित किया। अनिवासी भारतीयों ने भी भारत में बैंकों में राशि जमा करने में बहुत बढ़ोतरी की।

इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान चालू और पूंजी खाता दोनों में अधिशेष की स्थिति रही जो विदेशी मुद्रा भंडार में हुई वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। 19 फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 583.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मार्च 2020 समाप्त होने के बाद

से 106.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। घरेलू और वैश्विक सुधार दोनों से जुड़ी प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों द्वारा बाह्य क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव जारी रहेगा।

कोविड के बाद भारत में उभरते अवसर

10. अब मैं भारत में कोविड के बाद कुछ उभरते हुए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने विशेष रूप से उल्लेखनीय सात प्रमुख क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया है।

(i) विनिर्माण और आधारभूत संरचना

11. विनिर्माण क्षेत्र, वृद्धि में सुधार हेतु अग्रणी भूमिका निभा रहा है जबकि सघन रूप से एक-दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क पर आधारित कई सेवाओं के उप-क्षेत्रों को इस संकट ने बुरी तरह प्रभावित किया है। एक सशक्त विनिर्माण क्षेत्र और आधारभूत संरचना को विकसित करने की दिशा में सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान और केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत की गई पहल से बाकी क्षेत्रों के साथ इसके मजबूत जुड़ाव को स्वीकार किया गया है। प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाना है। यह श्रम बाजार में सुधारों के साथ-साथ, विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक उन्नत वक्र रेखा में विकास को आगे बढ़ाने के लिए सहायक हो सकता है और इसकी रोजगार क्षमता का लाभ उठा सकता है।

(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

12. मुझे यह जानकर खुशी हुई कि बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मौजूदा सदस्यता का लगभग दो-तिहाई हिस्सा छोटे और मझोले उद्यमों का है। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र लगभग 6.33 करोड़ उद्यमों के विशाल नेटवर्क के साथ अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन के रूप में उभरा है, जिसका योगदान हमारे सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 30 प्रतिशत और निर्यात में लगभग 48 प्रतिशत का है। यह क्षेत्र लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और इस मामले में केवल कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे

स्थान पर है। यह क्षेत्र महामारी के दौरान विशेष रूप से कमजोर हुआ है, जिसके कारण दबाव से निपटने और इस क्षेत्र के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करने ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इस संबंध में, सरकार द्वारा दो प्रमुख योजनाएं, अर्थात्, आपातकालीन ऋण व्यवस्था गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) और गौण ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) की शुरुआत की गई। रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दर में कटौती, उच्च संरचनात्मक और टिकाऊ चलनिधि, ऋण चुकौती पर स्थगन, परिसंपत्ति वर्गीकरण पर रोक, ऋण पुनर्गठन पैकेज और नए एमएसएमई उधारकर्ताओं को संवितरित ऋण पर सीआरआर छूट के रूप में विभिन्न प्रकार के मौद्रिक और विनियामक उपायों द्वारा इनको विधिवत सहयोग प्रदान किया गया है। इन उपायों से न केवल एमएसएमई क्षेत्र में तनाव को कम करने में सहायता मिलेगी बल्कि नए अवसर भी खुलेंगे। आगे चलकर, रिज़र्व बैंक एमएसएमई क्षेत्र में अधिकाधिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को सहयोग देने के लिए तैयार है।

(iii) प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष

13. भारत में डिजिटल विस्तार ने एक नई ऊंचाई हासिल कर ली है। अब समय आ गया है कि इसके अनुप्रयोगों का लाभ उठाया जाए और साथ ही साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। लगभग 1.2 बिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर और 750 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर के साथ, भारत डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार और सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है।

14. डिजिटल क्षमताओं में सुधार और कनेक्टिविटी के सर्वव्यापी होने के साथ ही तकनीकी नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी संचालित क्रांति भारत की अर्थव्यवस्था को जल्दी ही और मौलिक रूप से बदलने के लिए तैयार है। उनके पास कृषि, विनिर्माण और व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक

सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने की क्षमता है। इसके कारण वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय समावेशन बेहतर होने की संभावना है और सूचना की असमानता और ऋण जोखिम कम हो सकता है। इसी तरह, खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऑडियो-विजुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम और दूरस्थ शिक्षा द्वारा आवश्यक कौशल और स्कूल-कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में प्रदान किए जाने वाले कौशल के बीच तालमेल को सुदृढ़ किया जा सकता है।

हेल्थकेयर डिलीवरी में सुधार मेडिकल रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन, स्मार्टफोन और मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से निदान और डॉक्टर के दूरस्थ प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है। कृषि उत्पादों की बिक्री का मार्गदर्शन करने के लिए वास्तविक समय बाजार की जानकारी का उपयोग करके और कृषि निर्गमों के मार्गदर्शन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मृदा, जल और जलवायु आंकड़ों का उपयोग करके 'सटीक खेती' हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का अंगीकरण कृषि क्षेत्र में उच्च मूल्य वर्धन कर सकता है। लेनदेन की अपनी कम लागत के साथ ई-कॉमर्स क्षेत्र पहले से ही बाजार संरचना में क्रांति ला रहा है जिसकी पराकाष्ठा गहन बाजार एकीकरण में हुई है।

15. मैं यह बताना चाहूंगा कि भारत में अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू व्यय (जीईआरडी) मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रेरित है जिसमें कुल अनुसंधान एवं विकास में 56 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एक वैश्विक प्रौद्योगिकी और नवाचार लीडर बनने के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र आगे आए जैसा कि कई उभरते बाजारों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हुआ है।

(iv) स्वास्थ्य

16. कोविड-19 के पश्चात स्वास्थ्य क्षेत्र निस्संदेह एक प्रमुख फॉल्ट लाइन के रूप में और साथ ही जबरदस्त विकास के अवसरों के रूप में उभरा है। 3000 से अधिक कंपनियों के नेटवर्क के साथ, भारत अब संख्या के अनुसार फार्मास्यूटिकल

उत्पादन में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, इस क्षेत्र में सालाना 12 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार अधिशेष पैदा हो रहा है। भारत अब टीकों की वैश्विक मांग के आधे से अधिक की आपूर्ति करता है। इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और कम उत्पादन लागत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण आने वाले वर्षों में मजबूत वृद्धि दिखाई पड़ने की उम्मीद है। कोविड-19 के उपरांत के परिदृश्य में यह आशा की जाती है कि टीकों और दवाओं के लिए बढ़ी हुई वैश्विक मांग की आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होगी। भविष्य में इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए कि किफ़ायती रूप से मूल्य श्रृंखला के हर स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की समग्र आपूर्ति बढ़ाई जाए। कॉर्पोरेट सेक्टर को इस क्षेत्र में स्केल और स्किल सृजन के लिए ज्यादा निवेश करने की जरूरत है।

(v) निर्यात को प्रोत्साहन

17. वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे से अपनी गहरी मंदी से उबर रही है। वैश्विक व्यापार गतिविधि के आगे चक्रीय उत्थान की स्थिति में होने की संभावना है। भारत के मामले में, ऐसे संरचनात्मक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है जो मजबूत विकास और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में घरेलू उद्योग की व्यापक भूमिका की नींव रख सकते हैं। क्षेत्रीय शक्तियों और संभावित अवसरों पर आधारित पीएलआई योजना कुछ ऐसे चैंपियन क्षेत्रों की पहचान करती है जो घरेलू निर्माताओं को किफ़ायत प्राप्त करने में और वैश्विक बाजार में उनके पदचिह्नों का विस्तार करने में सहायता प्रदान करेंगे। इस योजना के बारे में कंपनियों से प्राप्त प्रतिक्रिया- विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण उद्योग में बहुत उत्साहजनक बतायी गयी है। यह निर्यात प्रोत्साहन खाद्य उत्पादों अन्य क्षेत्रों जैसे परिधान और वस्त्र; पूंजीगत वस्तुएं; ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक; और इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी-कंडक्टर्स से भी आने की संभावना है; चूंकि पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन संरचना की परिकल्पना अगले पांच वर्षों के लिए की गई है,

इसलिए घरेलू उद्योग को दीर्घावधि में व्यवहार्य बने रहने के लिए गुणवत्ता और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान केंद्रित करके अपनी ताकत विकसित करने की जरूरत है।

(vi) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)

18. एक अन्य नीतिगत क्षेत्र, जिसकी भारत के निर्यात और विकास को टिकाऊ प्रोत्साहन देने के लिए ध्यान देने की जरूरत है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है। संभावित एफटीए को न केवल घरेलू ताकत और वैश्विक अवसर बल्कि महामारी के बाद की अवधि में उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य को भी संज्ञान में लेने की जरूरत है। भावी एफटीए को डिजाइन करते समय, एफटीए के साथ भारत का अनुभव एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देशक हो सकता है। प्रमुख विचार उन देशों और क्षेत्रों की पहचान करने में होना चाहिए जिनमें न केवल घरेलू वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक बाजार के रूप में संभावना है बल्कि उनमें घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाने की गुंजाइश है, विशेष रूप से पीएलआई योजना के तहत कवर किए गए क्षेत्रों में। ब्रेक्सिट के बाद का परिदृश्य ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ अलग व्यापार समझौतों के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करता है। एफटीए इन अर्थव्यवस्थाओं के साथ न केवल द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा दे सकता है बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में भी अधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण, अफ्रीका में भारतीय फर्मों से निर्यात और निवेश की अपार संभावनाएं भी पैदा हो गई हैं। भारतवंशियों की बड़ी उपस्थिति इस क्षमता का दोहन करने में मदद कर सकती है।

(vii) सेवा निर्यात

19. विश्व सेवा व्यापार में सुधार, जो महामारी के पूर्व की अवधि में माल व्यापार की तुलना में तेजी

से हुआ के वर्तमान सीमापार यात्रा प्रतिबंधों के कारण धीमी रहने की उम्मीद है। तथापि दक्षता के साथ व्यापार किए जाने पर अधिक जोर दिया रहा है। इसमें अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग बढ़ी है और लागू किए गए निरंतर ग्लोबल वैल्यू चेन रीकॉन्फिगरेशन द्वारा नए बिजनेस के अवसर बढ़े हैं। इससे आईटी कंपनियों के सॉफ्टवेयर निर्यात में आघातसहनीयता भी आई है। डब्ल्यूटीओ (फरवरी 2021) के एक हालिया अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण वैश्विक व्यापार में वृद्धि औसतन 2 प्रतिशत सालाना अधिक होगी। इससे व्यापार लागत को कम करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने से व्यापार के लिए नए अवसर खुलेंगे। डिजिटल ट्रांजिशन पर हमारे अत्यधिक ध्यान केंद्रित किए जाने को देखते हुए, भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक देश होने के नाते, बढ़ी हुई सेवाओं का हमें लाभ मिलने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

20. कुल मिलाकर, हम भाग्य परिवर्तन के मुहाने पर हैं। सारी दुनिया को देखते हुए, भारत में कोविड-19 के मामलों में गिरावट आई है और हमारे लिए इस गिरावट को मजबूत करना और कड़ी मेहनत से अर्जित सफलता को भुनाना महत्वपूर्ण है। हालांकि, देश के कुछ हिस्सों में संक्रमण के मामले फिर से शुरू हो गए हैं। हमें सतर्क, दृढ़ और चौकन्ना रहने की जरूरत है। कोविड से युद्ध जारी है। 2020 की लड़ाई जीती गई है लेकिन इसके लिए जीवन, आजीविका और आर्थिक गतिविधियों के मामले में काफी अधिक कीमत चुकानी पड़ी है। हमें 2021 की लड़ाई भी जीतने की जरूरत है। आइए, इस युद्ध को भी अंततः जीत लेने का संकल्प लें।

धन्यवाद। सुरक्षित रहें, नमस्कार।

आलेख

कोविड-19 महामारी : भारतीय बैंकों की भूमिका

- मनीष मंडा

प्रबंधक, नाबार्ड

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

विश्व में प्रत्येक वस्तु, प्रक्रिया तथा उत्पाद परिवर्तनशील है। एकमात्र प्रक्रिया जो सतत स्थायी है तो वह है- परिवर्तन। बदलते युग में न केवल उत्पाद बल्कि सेवाएं भी निरंतर परिवर्तनशील हैं। ग्राहक सेवाओं में बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो निरंतर परिवर्तनशील है।

पिछले वर्षों में भारतीय बैंकिंग ने जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखा है, वह स्वयं में अद्भुत तथा विस्मयकारी है। भारतीय बैंकिंग जगत ने कई दौर तथा कई उतार-चढ़ाव देखे हैं तथा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र उन सभी कठिनाइयों में से सफलतापूर्वक बाहर भी आया है। जन-जन तक बैंकिंग सेवाओं के प्रसार तथा राष्ट्र की प्राथमिकताओं को लागू करने जैसे सामाजिक सरोकारों हेतु 1969 में 14 बैंकों तथा 1980 में छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके पश्चात् 1991 में आए उदारीकरण के दौर में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र क्रांतिकारी परिवर्तन का साक्षी बना।

विदेशी बैंकों के भारत में आगमन, ग्राहकों को घर बैठे मिलती बेहतर बैंकिंग सुविधाओं, विश्व में भारतीय बाजार की बढ़ती पहचान तथा आयात-निर्यात की निरंतर वृद्धि ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विवश किया कि वे अधिक प्रतिस्पर्धी बनें तथा ग्राहकों को उच्चस्तरीय सेवाएं प्रदान करने की चुनौती स्वीकार करें। विश्वपटल पर बढ़ती बैंकिंग

सेवा की प्रतिस्पर्धा ने भारतीय बैंकिंग को भी बदलाव की ओर अग्रसर किया है। गत दो दशकों में भारतीय बैंकिंग ने अन्य गैर-पूंजी व्यावसायिक क्षेत्रों तथा ग्राहक सेवाओं जैसे एटीएम, बैंक गारंटी, बीमा, म्यूचुअल फंड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यात्रा कार्ड इत्यादि क्षेत्रों में पांव पसारें हैं।

हमने केवल उदारीकरण और वैश्विक चुनौतियों के बारे में ही सोचा, परंतु चुनौतियाँ ऐसी होती हैं जो किसी भी मोर्चे पर अकल्पनीय रूप में भी सामने आ सकती हैं। फिर चाहे वह युद्ध हो, राजनैतिक संकट हो, उग्रवाद तथा नक्सलवाद जैसी राष्ट्रीय समस्या हो अथवा प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, महामारी इत्यादि के रूप में चुनौती हो। इन सभी चुनौतियों में हमने जिस चुनौती के विषय में सबसे कम विचार किया, वह थी किसी महामारी के रूप में बैंकिंग क्षेत्र के सम्मुख चुनौती का आना।

वर्ष 2020 कोरोना महामारी के रूप में ऐसी ही एक चुनौती बैंकिंग क्षेत्र के सामने लाया है। कोरोना एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जो एक नए वायरस कोविड-19 द्वारा फैलती है। यह वायरस हवा में अथवा बाहरी सतह पर बहुत देर तक जीवित रह सकता है। इस तथ्य ने इस वायरस के संक्रमण का खतरा और भी अधिक बढ़ा दिया है। ऐसा अनुमान है कि चीन के हुबई राज्य की राजधानी वुहान शहर



में स्थित जानवरों के मांस बेचने वाले एक बाज़ार से उत्पन्न हुआ यह वायरस आज विश्व के सभी देशों में फैल चुका है। इस वायरस ने किस प्राणी से मनुष्य में प्रवेश किया, यह अभी तक शोध का विषय है। शायद ही कोई ऐसा राष्ट्र हो जो अब तक इस वायरस के आक्रमण से बच पाया हो।

मई, 2021 के पहले सप्ताह तक सम्पूर्ण विश्व में 15 करोड़ से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं तथा 32 लाख से अधिक लोग इस वायरस के कारण काल-कवलित हो चुके हैं। जिन देशों ने इस वायरस का दंश सबसे अधिक झेला है, उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, भारत, यूनाइटेड किंगडम, इटली तथा स्पेन प्रमुख हैं। भारत में अब तक दो करोड़ से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं तथा करीब सवा दो लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत अभी कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरह जूझ रहा है। देश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। इससे संभवतः इस महामारी को नियंत्रित करने में हमें शीघ्र सफलता मिलेगी।

पिछले वर्ष भारत सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' नामक अभियान की घोषणा की थी जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए (भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10%) की राशि दी गई थी। इस राशि में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्व में घोषित आठ लाख करोड़ रुपए की राशि भी सम्मिलित थी। आइए, इस अभियान की प्रमुख घोषणाओं पर दुबारा एक नजर डाल लें:

- तीन लाख करोड़ रुपए सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्योगों हेतु रखे गए हैं, जिससे 2 लाख सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्योग लाभान्वित होंगे। 50 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान व्यापक वृद्धि की संभावना वाले सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्योगों हेतु भी रखा गया है।

- 20 हजार करोड़ रुपए तनावग्रस्त सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्योगों हेतु रखे गए हैं।
- 2.5 करोड़ किसानों को दो लाख करोड़ रुपए का ऋण भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा।
- अतिरिक्त आपातकाल कार्यशील पूंजी के रूप में लघु तथा सीमांत कृषकों हेतु रबी फसलों की उपज तथा खरीफ फसलों की बुवाई हेतु 30 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान नाबार्ड के माध्यम से रखा गया है।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में 45 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
- डिस्कॉम कंपनियों में 90 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
- छोटे व्यापार हेतु ऋणों के लिए भारत सरकार तीन लाख करोड़ रुपए की शत प्रतिशत प्रतिभूति भी देगी।
- मुद्रा लघु ऋण के अंतर्गत ब्याज अनुदान हेतु 1,500 करोड़ रुपए तथा गली-कूचे में रेहड़ी लगाने वालों के लिए 5 हजार करोड़ रुपए के प्रावधान रखे गए हैं।
- कृषि के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने हेतु कृषक उत्पाद संगठनों के लिए एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।
- चिकित्सा क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं के स्वास्थ्य बीमा हेतु 15 हजार करोड़ रुपए की निधि की स्थापना की घोषणा भी की गई।
- 200 करोड़ रुपए से नीचे किसी भी राशि की वैश्विक निविदा नहीं ली जाएगी।

- प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के अंतर्गत डिजिटल तथा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

बैंकिंग आवश्यक सेवाओं की सूची में आता है। अतः तालाबंदी में भी बैंक कर्मियों ने कोरोना योद्धाओं के रूप में अपनी सेवाएँ दी थीं और अब भी दे रहे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के सफल क्रियान्वयन की ना केवल जिम्मेदारी बैंकिंग क्षेत्र पर है, बल्कि इस योजना का बैंकिंग क्षेत्र को भरपूर लाभ उठाने की आवश्यकता भी है। कोरोना महामारी के दौर में भारतीय बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लगाया जा सकता है :

(क) देश में आज भी कई ऐसे दुर्गम स्थान जैसे कि रेगिस्तान, सुदूर पर्वतीय इलाके, उग्रवाद प्रभावित, नक्सल प्रभावित जैसे सामाजिक / राजनैतिक रूप से अस्थिर स्थान इत्यादि हैं, जहां बैंक की शाखा देश की स्वतन्त्रता के इतने वर्षों के उपरांत भी नहीं पहुंच पाई है। ऐसे स्थानों पर साइबर बैंकिंग द्वारा आम नागरिक को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता प्राप्त हुई। घरों में अथवा साहूकारों के पास अनुपयोगी पड़े धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाने में साइबर बैंकिंग ने निर्णायक भूमिका अदा की है।

कोरोना के दौर में आम ग्राहक संक्रमण के डर के कारण बैंक की लंबी-लंबी कतारों में खड़ा होकर परेशान नहीं होना चाहता। आधुनिक ग्राहक चाहता है कि वह जहां चाहे, जब चाहे, अपने धन की निकासी/ हस्तांतरण कर सके तथा अन्य बैंकिंग सेवाओं का भी उपयोग कर सके। संक्रमण को देखते हुए सामाजिक दूरी, मास्क लगाने इत्यादि उपायों के साथ-साथ भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा दिया। कोरोना काल में व्यक्ति साइबर बैंकिंग का सरलता से उपयोग कर सकता है। ग्राहक घर बैठे-बैठे ही अपने सारे बैंकिंग कार्य, जैसेकि खाते में बैलेंस पता करना, लेन-देन करना, सावधि जमा

खुलवाना, आधार कार्ड लिंक करना, ई-केवायसी करना, चेक-बुक के लिए आवेदन करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, खाते का स्टेटमेंट लेना इत्यादि कर सकता है।

अतः यह कहा जाए कि कोरोना महामारी के दौर में बैंक की ईट-पत्थर की शाखाओं में लोगों का जाना अत्यंत कम हो जाएगा और साइबर बैंकिंग का प्रचलन अधिक बढ़ेगा, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।

(ख) विश्व के अनेक राष्ट्र कोरोना काल में चीन में निवेश करने से डर रहे हैं। चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत को इस मौके को भुनाने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ने से आयात-निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस कारण भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए यह महामारी तमाम चुनौतियों के साथ-साथ कई नए अवसर भी लेकर आई है।

(ग) कोरोना काल में साइबर बैंकिंग लाभदायक है क्योंकि यह ग्राहक को भीड़भाड़ वाले स्थानों से बचाती है। बैंक भी साइबर बैंकिंग की सुविधा प्रदान कर अपने मानव संसाधन के समय तथा ऊर्जा का ना केवल अन्य व्यावसायिक कार्यों में उपयोग कर पा रहे हैं बल्कि बैंक साइबर बैंकिंग द्वारा शाखा / एक्सटेंशन (विस्तार) काउंटर स्थापित करने से होने वाले खर्चों में भी कटौती कर पा रहे हैं। अतः बैंक भी चाहते हैं कि ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग का अधिक से अधिक उपयोग करें। सार्वजनिक अवकाश, यात्रा करते समय अथवा किसी विषम परिस्थिति जैसे कि बाढ़, भूकंप, कर्फ्यू इत्यादि में साइबर बैंकिंग का सरलता से प्रयोग कर पाने से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है।

आजकल बैंक इंटरनेट बैंकिंग में नित नए फीचर देकर उसे अद्यतन करते रहते हैं। साइबर बैंकिंग कम्प्यूटर / लैपटॉप से आगे बढ़कर मोबाइल तक पहुंच चुकी है। साइबर बैंकिंग के मोबाइल रूपी नवीनतम आयाम ने एक नई क्रान्ति ला दी है। जैसे-

जैसे मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे बैंकों के समक्ष ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की ना केवल बाध्यता आ चुकी है बल्कि बैंकों के समक्ष मोबाइल बैंकिंग के एप्लिकेशन (ऐप) को और निरंतर आधुनिक और अद्यतन बनाने की चुनौती भी बढ़ती जा रही है।

आज प्रत्येक सेवा क्षेत्र में ऑनलाइन कंपनियों की बाढ़ आ चुकी है, फिर वह चाहे रेल टिकट की बुकिंग करनी हो अथवा मूवी टिकट बुक करनी हो। घर पर खाना मंगाने से लेकर टैक्सी बुक करने तक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीददारी करने से लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से मित्रों को भुगतान करने तक, तथा बिजली के बिल से लेकर टेलीफोन और पानी के बिल के भुगतान तक, सभी में डिजिटल बैंकिंग की आवश्यकता पड़ती है। कोरोना काल में ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाने वाली ऐसी सेवाओं में निरंतर विस्तार हो रहा है। ई-प्लेटफॉर्म के इस विस्तार का बैंक अपने व्यवसाय की दृष्टि से उपयोग कर सकते हैं।

यदि हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि कोरोना काल ना केवल व्यवसाय बढ़ाने हेतु एक अवसर है, बल्कि इसके कई सामाजिक पहलू भी हैं, यथा:

(i) *अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) तथा हवाला के माध्यम से धन-शोधन विरोधी कानून (पीएमएलए, 2002) का पालन* : बैंकों पर सामाजिक सुरक्षा का दायित्व भी है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 (ए) के अंतर्गत बैंकों को केवाईसी तथा पीएमएलए, 2002 का पालन करना अनिवार्य है। विश्व में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता रोकने हेतु बैंकों को सतर्क रहना होगा। बैंक को संदेहास्पद लेनदेन, प्रतिमाह 10 लाख रुपए से अधिक के लेनदेन वाले खातों तथा नकली मुद्रा पाए जाने की सूचना एफआईयू, नई दिल्ली को तुरंत देनी होती है। यह सामाजिक सुरक्षा का दायित्व कोरोना काल में बैंकों के लिए न केवल एक

चुनौती है बल्कि अपने आंतरिक सुरक्षा-तंत्र को मजबूत बनाने का अवसर भी है।

(ii) *ग्राहक सेवा एवं जागरूकता* : प्रतिस्पर्धा के इस युग में ग्राहक संतुष्टि ही सफलता का मूल मंत्र है। बैंक आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे सुगम तथा सहज उपलब्ध एटीएम तंत्र, सरल इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग (आधुनिक ऐप्स द्वारा) इत्यादि जैसी उच्च गुणवत्तायुक्त विश्व-स्तरीय सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराने के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध हो सकते हैं। कोरोना काल में बैंकों के समक्ष ग्रामीण और कस्बाई ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूक करने की चुनौती भी बढ़ गई है। ऐसा कर वे उन्हें यथासंभव संभावित संक्रमण से बचा सकते हैं।

(iii) *अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)* : बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती हुई अनर्जक आस्तियाँ घोर चिंता का विषय है। बैंकों को ऋण देते समय ऋणी की समस्त जानकारियों जैसे कि उसकी पृष्ठभूमि, सीबिल रिकॉर्ड, ऋण-अदायगी की क्षमता आदि के विषय में संतुष्ट होना होता है। पूर्व में जब भारतीय बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर नहीं थे, तब ऋणी को स्वयं के ऋण-मुक्त होने का प्रमाणपत्र लेने हेतु अपने निवास व बैंक के कार्य क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बैंक का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। सभी बैंकों के सीबीएस प्लेटफॉर्म पर आने के पश्चात यह कार्य अत्यंत सरल हो गया है। कोरोना काल में डिजिटल बैंकिंग इस दिशा में सहायक सिद्ध हो सकती है।

(iv) *सूचना-प्रणाली प्रबंधन, सतर्कता कक्ष, आंतरिक निरीक्षण तथा अंकेक्षण*: कोरोना काल में सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग द्वारा बैंक आंतरिक जांच और नियंत्रण तंत्र जैसे कि प्रबंधन सूचना-प्रणाली, सतर्कता कक्ष, आंतरिक निरीक्षण, अंकेक्षण इत्यादि को सुदृढ़ बना सकते हैं। इससे गबन व धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी तथा बैंक कई जोखिमों जैसे कि ऋण-जोखिम, परिचालनात्मक-जोखिम इत्यादि से बच सकते हैं। मजबूत आंतरिक जांच और नियंत्रण तंत्र द्वारा अमेरिका में आए 2008 के

‘सब-प्राइम’ संकट जैसे वृहत् स्तर पर आए किसी संकट से भी बचा जा सकेगा।

(v) सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग और एटीएम: कोरोना काल में एटीएम केवल नकद आहरण का साधन ही नहीं हैं, बल्कि उसके द्वारा अन्य सेवाएँ, जैसे कि नकदी जमा करना, खाते का शेष बताना, खाते को आधार संख्या व मोबाइल से जोड़ना, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना, खाते में अन्य कुछ प्रकार के संशोधन इत्यादि भी किए जा सकते हैं। सभी एटीएम मशीनों को सुरक्षा-प्रहरी व सीसीटीवी के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना, एटीएम परिसर को स्वच्छ बनाए रखना, दिव्यांगजनों हेतु एटीएम परिसर को सुगम बनाना इत्यादि ऐसे कई कदम हैं जो एटीएम प्रौद्योगिकी को अधिक कारगर बनाएंगे। अतः यह बैंकों का दायित्व है कि वे कोरोना काल में सुगम तथा सहज उपलब्ध एटीएम तंत्र द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त विश्व-स्तरीय सुविधाएँ ग्राहकों को देने का सतत प्रयास करें।

(vi) कोरोना काल में वित्तीय डाटा का संकलन: कोरोना काल में बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय डाटा का संकलन अत्यंत आवश्यक है। वित्तीय डाटा के संकलन द्वारा भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को जरूरतमंदों तक वित्तीय सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी।

(vii) कोरोना काल में वित्तीय प्रौद्योगिकी का नवीन व्यावसायिक क्षेत्रों में उपयोग : आधुनिक वित्तीय प्रौद्योगिकी का नवीन व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे कि लघु-सिंचाई, नवीन उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिक फसलें, शीत भंडारण, डेयरी, सौर ऊर्जा आदि में बैंकों का व्यवसाय बढ़ाने हेतु उपयोग हो सकता है। बैंकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड, रुपये किसान क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल किसान क्रेडिट कार्ड के प्रसार में साइबर बैंकिंग से सहायता प्राप्त हो सकती है। कोरोना काल में बैंकों के लिए डिजिटल बैंकिंग द्वारा प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण-प्रवाह बढ़ाना न केवल एक चुनौती है अपितु इन क्षेत्रों से

लाभ कमाने का एक सुनहरा अवसर भी है। ग्राहक के घर तक पहुंचती सरल डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा को मजबूत बनाने और आम नागरिक के धन की रक्षा करने के लिए कई एजेंसियां दिन-रात लगी रहती हैं।

डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा के लिए कई प्रणालियां जैसे कि राष्ट्रीय डिजिटल पहचान प्रणाली, आधार आधारित भुगतान प्रणाली (AEPS), रुपये कार्ड, आधार आधारित भुगतान ब्रिज प्रणाली (ABPS), ई-हस्ताक्षर, चेक ट्रूकेशन प्रणाली, राष्ट्रीय वित्तीय रिचिच इत्यादि और कई एजेंसियां जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह आदि दिन-रात प्रयासरत हैं।

इन सभी प्रणालियों तथा एजेंसियों के होते हुए ग्राहक को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोरोना महामारी को देखते हुए बैंकों ने अपने स्तर पर भी कई सुरक्षा प्रबंध किए हैं। सभी बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध साइबर बीमा ले रखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार यदि साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने के तीन दिन के भीतर यदि ग्राहक बैंक को सूचित कर देता है तो उसे कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा।

साइबर सुरक्षा की यह ज़िम्मेदारी जितनी बैंकों की है, उतनी ही यह ज़िम्मेदारी ग्राहकों की भी है। भारतीय रिज़र्व बैंक भी तो कहता है:

“जानकार बनिए, सतर्क रहिए।”

कुल मिलकर यह कहा जा सकता है कि कोरोना काल ना केवल एक चुनौती लाया है बल्कि व्यापक संभावनाएं भी अपने साथ लाया है। इन चुनौतियों को अवसरों में बदलना ही सबसे बड़ी चुनौती है। उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय बैंकिंग जगत इन चुनौतियों को अवसर में बदल पाने में बहुत हद तक सफल होगा।

बढ़ता एनपीए बैंकिंग विकास में बाधक : समस्या व समाधान

- तन्मय श्रीवास्तव

उपप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक
मंडल कार्यालय, अहमदाबाद


किसी भी राष्ट्र के विकास में वहाँ की अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और किसी भी अर्थव्यवस्था का मूलभूत आधार होती है बैंकिंग प्रणाली। भारत में औपचारिक बैंकिंग की शुरुआत 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना के साथ हुई जिसके तुरंत बाद दो और बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे (1840) एवं बैंक ऑफ मद्रास (1843) की स्थापना हुई, जिन्हें प्रेसीडेंसी बैंक का नाम दिया गया। 1860 के संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम के बाद एक-एक करके कई सारे बैंक स्थापित हुए, जिनमें से इलाहाबाद बैंक (1865) तथा पंजाब नेशनल बैंक (1894) आज भी सुचारु रूप से कार्यशील हैं।

जैसे-जैसे बैंकिंग की पहुँच जनता के बीच बढ़ी, वैसे-वैसे इसके अंतर्गत आने वाली गतिविधियों का भी विस्तार हुआ। एक समय जहाँ बैंकिंग का अर्थ केवल धन को सुरक्षित जमा करना एवं आवश्यकता पड़ने पर धन का आहरण होता था, आज बैंकिंग में इससे कहीं अधिक गतिविधियाँ समाहित हो गयी हैं। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी बैंक एक मूलभूत आधार बन गए हैं।

एनपीए : आस्ति का देयता में परिवर्तन

सामान्यतः ऐसी कोई भी आस्ति (एसेट) जिससे बैंक को आय आना बंद हो गया है, उसे अनर्जक

आस्ति (एनपीए) कहा जाता है। जब किसी ऋण या अग्रिम के मूलधन और ब्याज की किश्त के भुगतान में 90 दिनों से अधिक की देरी हो जाती है तो उस ऋण या अग्रिम को अनर्जक आस्ति की श्रेणी में रखा जाता है। अमूमन एक बैलेंस शीट में बाईं तरफ पूंजी एवं देयता (कैपिटल और लायबिलिटी) तथा दाईं तरफ आस्ति एवं जायदाद (एसेट और प्रॉपर्टीस) का ब्योरा दिया जाता है। बैलेंस शीट से तात्पर्य ऐसे विवरण (स्टेटमेंट) से है जो एक निश्चित तारीख पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। आरबीआई द्वारा कुछ मुख्य प्रकार के ऋणों के एनपीए होने के मानदंड निम्नवत निर्धारित हैं:



1. टर्म लोन: ब्याज और/अथवा मूलधन की किश्त यदि 90 दिनों से अधिक समय के लिए बकाया रहती है।
2. कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट: आउटस्टैंडिंग बैलेंस यदि संक्शनड लिमिट अथवा ड्राइंग पॉवर से अधिक हो अथवा अकाउंट में 90 दिनों में कोई भी क्रेडिट एंट्री ना की गई हो।
3. बिल: यदि खरीदा हुआ एवं डिस्काउंटेड बिल 90 दिनों से अधिक तक बकाया रहता है।
4. फसल ऋण: कम अवधि की फसल के लिए दो फसल सीजन तथा लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसल सीजन तक यदि मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान बकाया हो।

एनपीए का वर्गीकरण

मुख्यतः किसी ऋण खाते (लोन अकाउंट) के एनपीए होने के बाद उसे तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: (1) *सब-स्टैंडर्ड एसेट*: ऐसे एसेट जो 12 महीनों या उससे कम के लिए एनपीए हों। (2) *डाउटफुल एसेट*: ऐसे एसेट जो 12 महीनों या उससे कम के लिए सब-स्टैंडर्ड हों। (3) *लॉस एसेट*: ऐसे एसेट जहाँ आरबीआई या उस बैंक द्वारा घाटे (लॉस) की पहचान की गई हो, यद्यपि उनमें कुछ वैल्यू शेष रह सकती है जिसकी वजह से लोन को राइट-ऑफ नहीं किया गया है।

जहाँ एक तरफ अमेरिका एवं चीन में एनपीए की कुल दिए गए ऋण में हिस्सेदारी 2-3% के आसपास है, वहीं भारत में यह हिस्सा तकरीबन 9-10% पहुँच चुका है। हालाँकि कई ऐसे देश भी हैं जहाँ यह स्थिति और भी बदतर है परन्तु भारत के आर्थिक विकास के लिए यह बढ़ता एनपीए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। केयर रेटिंग के द्वारा किए गए BRICS देशों के एक तुलनात्मक विश्लेषण में भारत का एनपीए अनुपात सबसे बुरा रहा जो स्वयं में एक चिंता का विषय है।

भारत सरकार के आधिकारिक प्रैस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2015 को जहाँ कुल एनपीए की राशि रु. 2,79,016 करोड़ रुपए थी, वहीं यह राशि बढ़ कर 31 मार्च, 2018 को 8,95,601 करोड़ रुपए हो गई। हालाँकि सरकार, आरबीआई एवं समस्त बैंकों के अथक प्रयत्नों के बाद 31 मार्च, 2019 को यह राशि 89,189 करोड़ रुपए घटकर 80,6412 करोड़ रुपए हो गई है। उल्लेखनीय है कि लगभग 200 बैंक खाते ऐसे हैं जिनमें फँसा कर्ज 500 करोड़ रुपए से अधिक है।

एनपीए होने के मुख्य कारण

लोन अर्थात् ऋण, बैंकों के लिए आय के अत्यंत महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अतः यह जानना आवश्यक है कि किन कारणों से कोई भी ऋण

एनपीए हो जाता है। हम यहाँ कुछेक सामान्य कारणों पर संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं।

वित्तीय आपदाएँ: वैश्वीकरण के इस युग में विश्व के किसी भी कोने में होने वाली घटनाओं का असर सुदूर स्थिर क्षेत्रों में भी तीव्रता से पहुँच जाता है। अक्सर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली वित्तीय आपदाओं की वजह से भी ऋण की राशि एनपीए में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के तौर पर 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद विश्व के बहुत से देशों में बैंकों को नुकसान हुआ और एक बड़ी राशि एनपीए में तब्दील हो गई।

कुशासन: कतिपय सरकारी नीतियों की वजह से भी कंपनियों का लाभ कम हो जाता है और इसका असर उनकी बैलेंस शीट पर पड़ने लगता है। अन्ततोगत्वा कंपनी लिया गया ऋण एवं उसका ब्याज चुकाने में असमर्थ हो जाती है, जो आगे बैंक के लिए एनपीए का निर्माण करता है।

जानकारी का अभाव: विस्तृत एवं लिखित दिशा-निर्देशों के बावजूद, किन्हीं कारणों से बैंक अधिकारियों द्वारा होने वाली चूक की वजह से भी एनपीए बन जाता है।

इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफाल्टर): ऐसा व्यक्ति (या संस्था) जो लिया गया ऋण चुकाने में समर्थ होने के बावजूद अपनी किश्त नहीं भरता है, उसे इस श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने एक व्यवसाय में होने वाले नुकसान की वजह से ऋण चुकाने से इंकार कर देता है, यद्यपि उसके अन्य व्यवसाय भली भाँति आय दे रहे होते हैं।

राजनीतिक हस्तक्षेप: अक्सर राजनीतिक वजहों से पड़ने वाले अत्यधिक दबाव के कारण, निर्देशों को ना चाहते हुए भी अनदेखा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अंत में ऐसे ऋण लम्बे समय तक बैंक के लिए लाभप्रद नहीं रहते और अंततः एनपीए में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे एनपीए बैंक के बैलेन्स शीट पर बहुत बुरा असर डालते हैं और बैंकों को इनसे उबरना बहुत मुश्किल होता है।

प्राकृतिक कारक: प्राकृतिक विपदाओं जैसे बाढ़, सुनामी, सूखा, भूकंप इत्यादि की वजह से भी एक क्षेत्र विशेष में भारी नुकसान हो जाता है, जिससे वहां के व्यवसायी एवं अन्य ऋणी जन अपना मूलधन तथा ब्याज चुकाने में अक्षम हो जाते हैं। सरकार की तरफ से ऐसे हालातों में सहयोग अपेक्षित एवं अनिवार्य रहता है।

बढ़ते एनपीए से होता नुकसान

राष्ट्र के धन का नॉन-परफॉर्मिंग अर्थात् गैर-लाभप्रद हो जाना निःसंदेह राष्ट्र के लिए चिंतनीय है। हम यहाँ कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा कर रहे हैं।

प्रॉफिट मार्जिन में कमी: बढ़ते हुए एनपीए की वजह से बैंकों के शुद्ध लाभ में भारी गिरावट होती है। असल में एनपीए से हुए नुकसान के साथ-साथ, एनपीए अकाउंट में की जाने वाली प्रोविज़निंग के कारण बैंकों को अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ता है।

ट्विन बैलेंस शीट समस्या: यह सबसे जटिल एवं गंभीर समस्या है जो बढ़ते हुए एनपीए की वजह से आ रही है। जहां एक तरफ व्यवसायों के बही-खाते नुकसानों से भरते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बैंक की अपनी बैलेंसशीट भी नुकसान बढ़ता दिखा रही है। बही-खातों में इस दोहरे नुकसान को ही ट्विन बैलेंस-शीट समस्या कहते हैं।

ऋण देने योग्य राशि में कमी: जैसे-जैसे ऋण एनपीए होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे बैंकों के पास नया ऋण देने के लिए धनराशि कम होती जा रही है। इस वजह से कई ज़रूरी क्षेत्रों में भी समुचित ऋण व्यवस्था नहीं हो पा रही है जिससे अंततः देश की आर्थिक संवृद्धि प्रभावित होती है।

ब्याज दर में बढ़ोत्तरी: चूँकि बैंकों द्वारा दिए गए ऋण नुकसान में बदलते जा रहे हैं, इसलिए उन्हें बाज़ार में टिके रहने एवं अपने खर्चों को निकलने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी करनी पड़ती है।

आरबीआई द्वारा निर्धारित *MCLR* के ऊपर बैंक अपना-अपना मार्जिन बढ़ा कर फिर ऋण देते हैं।

न्यायपालिका पर दबाव: अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के लिए *DRT* या *NCLT* में जाने की वजह से इन संस्थाओं पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है और मामलों के निपटारे में जरूरत से अधिक समय लग रहा है।

आर्थिक विकास में रुकावट: देश के आर्थिक विकास की बागडोर बैंकों के कन्धों पर होती है और इस रफ्तार से बैंक के बढ़ते नुकसान की वजह से विकास की गति धीमी होती जा रही है। जहाँ एक ओर बैंकों पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऋण की कमी से उद्यमी भी नए कारोबार नहीं स्थापित कर पा रहे हैं।

सरकार के खर्चों में बढ़त: बैंकों की हालत सुधारने के लिए सरकार समय-समय पर बैंक री-कैपिटलाइजेशन अर्थात् बैंकों को धन देकर उनके बही-खाते सही करने के प्रयास करती है, जिसकी वजह से सरकार के खर्चों में बढ़ोत्तरी होती है और राष्ट्रीय बजट में नुकसान होता है।

एनपीए की समस्या से निपटने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण पहल

सरकार द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हम यहाँ इनमें से कुछ उल्लेखनीय उपायों की चर्चा कर रहे हैं-

डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी):

1993 में ऋण सम्बन्धी केसों में लगाने वाले समय को घटाने के लिए सरकार ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) की स्थापना की, जिससे काफी फायदा भी हुआ। परन्तु विवादों और मामलों की संख्या को देखते हुए देश में डीआरटी बहुत ही कम हैं। इस वजह से इनपर अत्यधिक दबाव है और इनमें मामले काफी समय तक लंबित रहने लगे हैं।

क्रेडिट इनफार्मेशन ब्यूरो (सीआईबी):

2000 में बनाए गए क्रेडिट इनफार्मेशन ब्यूरो का मुख्य लक्ष्य, दिए जाने वाले ऋण को गलत हाथों तक पहुँचने से रोकना था। यह बैंकों को विलफुल एवं अन्य डिफाल्टर का डाटा साझा करने में मदद करता है।

लोक अदालत:

पाँच लाख रुपए से कम के केसों के लिए 2001 में आरबीआई ने लोक-अदालत की शुरुआत की। इनकी वजह से न्यायपालिका में जाने वाले केसों की संख्या में भी कमी आई।

सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act):

यह अधिनियम बैंकों को अपना एनपीए रिकवर करने की अनुमति देता है। जब ऋण बकाया एक लाख रुपए से अधिक हो, तब इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अंतर्गत बैंक पहले एक नोटिस जारी करता है। उसके बाद भी यदि बकाया राशि जमा नहीं की जाती है तो बैंक उस समर्पार्श्विक (आवासीय या वाणिज्यिक) संपत्ति का स्वामित्व ले सकता है और ऋण वसूली के लिए उनकी नीलामी कर सकता है।

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी:

SARAFESI अधिनियम के अंतर्गत ही सरकार ने 28 ARC स्थापित किए हैं, जिनका मुख्य कार्य दबावग्रस्त ऋण से मूल्य निकालना है।

मिशन इन्द्रधनुष (2015):

1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद, यह भारत सरकार द्वारा लिया गया सबसे ऐतिहासिक कदम था जिसमें इन्द्रधनुष के सात रंगों के समान बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार के लिए सात महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित किए गए। इन्द्रधनुष के सात रंगों की तरह इसकी कार्यनीति में बैंकों के सुधार हेतु सात उपायों (A2G) पर बल दिया गया है- नियुक्तियाँ

(Appointment), बैंक बोर्ड ब्यूरो (Bank board bureau), पूंजीकरण (Capitalization), दबाव कम करना (Distressing), सशक्तीकरण (Empowerment), जवाबदेही (Framework of accountability) और गवर्नेंस (Governance)।

सशक्त 5:

जून, 2018 में केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सरकारी बैंकों में बढ़ती अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) की समस्या का समाधान सुझाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष सुनील मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के चेयरमैन रजनीश कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.एस. जयकुमार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंध निदेशक सी. वेंकट नागेश्वर इस समिति के सदस्य थे।

‘प्रोजेक्ट सशक्त’ शीर्षक से तैयार इस रिपोर्ट में दबावग्रस्त बैंकिंग प्रणाली से उबरने के लिए कुछ रणनीतियों की अनुशंसा की गई है। समिति के पांच रणनीतिक सुझावों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

- i. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग (एसएमई) आधारित सुझाव
- ii. बैंक केंद्रित संकल्प सुझाव
- iii. एसेट मैनेजमेंट कंपनी/अल्टरनेट इनवेस्टमेंट फंड (एएमसी/ईएफ) केंद्रित सुझाव
- iv. एनसीएलटी/आईबीसी आधारित सुझाव
- v. परिसंपत्तियों के लेन-देन (ट्रेडिंग) के प्लेटफॉर्म पर आधारित सुझाव

इस रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं:

- i. 50 करोड़ रुपए तक की राशि के ऋण को एसएमई रेजोल्यूशन अप्रोच के तहत लिया जाएगा और 90 दिनों के भीतर इनका निपटारा किया जाएगा।

- ii. 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए तक के एनपीए खातों में फँसे कर्ज के निपटान का फैसला अग्रणी बैंक की अगुवाई में लिया जाएगा।
- iii. 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले अन्य एनपीए खातों का निपटान यदि एमसी के माध्यम से भी संभव न हो तो ऐसे खातों का निपटान दिवालिया कानून के तहत किया जाएगा।
- iv. ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात की गई जिसमें खराब ऋणों का ट्रेड हो सके।
- v. बैंक, विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर, प्रस्ताव तैयार करेगा और अगर वह इसे 180 दिनों के भीतर नहीं निपटा पाता है, तो इसका समाधान दिवालिया कानून के तहत किया जाएगा।
- vi. इस परियोजना को लागू करने के लिये बैंकों की एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा जो इस बात की निगरानी करेगी कि तय नियमों का अनुपालन पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है या नहीं।

बदलाव हेतु कुछ सुझाव

सरकार द्वारा लिए जा रहे अनेकानेक निर्णयों के साथ ही, सभी बैंकों को मिलकर भी इस दिशा में कुछ सावधानी, कुछ प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस दिशा में और अधिक अपेक्षित बदलाव लाने के लिए ये कुछ सुझाव कारगर हो सकते हैं:

बैंकों को अधिक स्वायत्तता: जैसा कि सुनील मेहता कमिटी (सशक्त-5) ने भी सिफारिश की है, खराब ऋण के निपटारे के लिए बैंकों को और अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए ताकि कम समय में ऐसे मामलों का निपटारा किया जा सके और साथ

ही, ऐसे मामलों में न्यायपालिका में जाने से बचा जा सके।

प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए): आरबीआई के द्वारा बनाए गए पीसीए ढांचे को और अधिक लचीला एवं मजबूत करने की आवश्यकता है। इसकी सहायता से बैंकों को दिवालिया होने के पहले ही बचाया जा सकता है एवं उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों पर नियंत्रण भी किया जा सकता है।

प्रशिक्षण एवं जागरूकता: ऐसे समस्त बैंककर्मी जो ऋण या वसूली विभाग से सम्बद्ध हैं, उन्हें विधिवत प्रशिक्षण देकर सभी छोटी-बड़ी बारीकियों से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि वे अपना कार्य करते वक़्त उन पर गौर कर सकें।

अंतर-बैंकीय सहयोग एवं सामंजस्य: टेक्नालॉजी के इस युग में समस्त बैंकों को मिलकर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना चाहिए, जहाँ पर वे अपने अपने बैंक में होने वाले एनपीए की वजहों और प्रॉड के तरीकों को साझा कर सकें जिससे अन्य बैंक भी उससे जानकारी ले पाएँ एवं भविष्य के लिए सजग रहें।

न्यायिक कार्यवाही में सरलता: बैंक द्वारा जो भी मामले न्यायपालिका के हवाले किए जाते हैं उनके निपटारे में अत्यधिक समय लग जाता है जिसका असर बैंक में बढ़ते एनपीए के रूप में साफ़ देखा जा सकता है। अतः यह भी आवश्यक है कि इन प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाए ताकि कम समय में ऐसे मामलों का निपटारा किया जा सके।

राजनीतिक दबाव का निपटारा: रेगुलेटरी एजेंसियों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि बैंक के भीतर किसी कार्य के लिए अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप ना किया जाए और ना ही बैंक कर्मचारी या अधिकारी को किसी भी प्रकार से भयभीत किया जाए।

बिज़नेस प्रोसेस में सरलता: देश में कोई उद्यमी अपना व्यवसाय बंद करके कुछ और प्रयत्न करना चाहता है, तब भी उसे सहयोग किया जाना चाहिए।

इसके आभाव में एक व्यवसाय बंद होने के बाद उसमें निवेश किया गया सारा धन एनपीए हो जाता है और व्यवसायी के पास कोई विकल्प नहीं होता जिससे वो ऋण का भुगतान कर सके। इसलिए नया उद्यम लगाने या नया कारोबार शुरू करने के लिए आवेदन करने और अनुमति लेने की जटिल प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से सरल और सहज बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान में बैंकों की सबसे बड़ी चुनौती है- बढ़ते हुए एनपीए पर नियंत्रण करना। इस क्षेत्र में हम टेक्नोलॉजी एवं डाटा विश्लेषण की सहायता लेकर, त्वरित ढंग से

सावधान करने वाला एक सिस्टम बना सकते हैं। इसके साथ ही, सक्रिय रूप से रोकथाम के कदम उठकार हम अकाउंट को एनपीए होने के पहले ही बचा भी सकते हैं। क्रेडिट मूल्यांकन के लिए भी विधिवत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि किसी भी स्तर पर चूक या गलती की संभावना कम से कम हो।

अंत में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि सरकार एवं आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का सभी बैंक समुचित रूप में अनुसरण और अनुपालन करते हैं तो बढ़ते एनपीए की इस समस्या का समाधान करना कतई असंभव नहीं होगा।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018

- उमेश कुमार

प्रबंधक, विनियमन विभाग

भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

यह सर्वविदित है कि बैंकों की तरह ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की पहुँच उन ग्राहकों तक है, जहां बैंक अपनी पहुँच नहीं बना सके।

आज आप बहुत आसानी से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, यात्रा पैकेज आदि की खरीद के लिए ईएमआई आधारित ऋण प्राप्त कर पा रहे हैं जो कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कारण ही संभव हो पाया है। आपके आस-पास घूमते टैक्सी, ऑटो, टेम्पो, ट्रक, बस आदि से लेकर आवासीय मकानों तक सभी जगह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सेवाओं की पहुँच है। इन कंपनियों ने ग्राहकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के उत्पादों की रचना की और अपनी सेवाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार किया। विनियमन के दृष्टिकोण से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों की तुलना में कुछ अधिक स्वतंत्रता यह ध्यान में रखते हुए दी गई है कि इससे वे उन ग्राहकों तक आसानी से वित्तीय सुविधाएं पहुंचा सकेंगे जहां बैंक अभी तक अपनी पहुँच नहीं बना सके हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियों में बहुत अधिक विविधता है और इसके कारण इसके ग्राहकों की संख्या भी बहुत अधिक है। आज देश के कोने-कोने तक सभी जगह के लोग ऐसी कंपनियों के कोई न कोई उत्पाद का लाभ ले रहे हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना पर चर्चा करने से पहले यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि संबंधित विनियामक के दृष्टिकोण से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कितनी श्रेणियों में


बांटा जा सकता है। आम जनता के एक बड़े वर्ग में यह भ्रांति है कि सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वास्तविकता यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक केवल उन गैर-बैंकिंग कंपनियों का विनियमन करता है जो 'प्रमुख व्यवसाय मानदंड' को पूरा करते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत हैं।

किसी कंपनी को 'प्रमुख व्यवसाय मानदंड' को पूरा करते हुए तब माना जाएगा, जब कंपनी की वित्तीय आस्तियां कुल आस्तियों की 50 प्रतिशत से अधिक हों और वित्तीय आस्तियों से होने वाली आय कुल आय के 50 प्रतिशत से अधिक हो। 'प्रमुख व्यवसाय' शब्द को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। आइये देखते हैं कि किनका विनियामक कौन है-

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रकार	विनियामक
वैकल्पिक निवेश निधि कंपनी मर्चेन्ट बैंकिंग कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी म्यूचुअल फंड कलेक्टिव इनवेस्टमेंट स्कीम	सेबी
बीमा कंपनी	आईआरडीए
पेंशन निधि	पीएफआरडीए
म्यूचुअल बेनेफिट फंड निधि कंपनी	कंपनी रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
चिट फंड	संबंधित राज्यों के चिट रजिस्ट्रार

लोकपाल योजना की आवश्यकता

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों की तर्ज पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के ग्राहकों के लिए एक लोकपाल योजना शुरू की है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (योजना), एनबीएफसी द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं से संबंधित एनबीएफसी के ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक त्वरित और लागत-मुक्त शीर्ष स्तर का निवारण तंत्र है। यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल के अंतर्गत 23 फरवरी, 2018 से शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी को एनबीएफसी लोकपाल के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उक्त योजना के खंड 8 के अंतर्गत निर्दिष्ट शिकायतों के आधार पर शामिल कुछ सेवाओं में कमी के लिए एनबीएफसी के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों का निपटान करना उनका दायित्व होगा। आरंभिक तौर पर इस योजना के अंतर्गत चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली और मुंबई में स्थित कार्यालयों में चार एनबीएफसी लोकपाल नियुक्त किए गए हैं।



योजना में शामिल एनबीएफसी

यहाँ यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि वर्तमान में उक्त योजना को सभी एनबीएफसी पर लागू नहीं किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 (एफ) में एनबीएफसी के रूप में परिभाषित और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत आरबीआई के साथ पंजीकृत ऐसे एनबीएफसी को इस योजना में शामिल किया गया है जो-

(क) जमाराशि स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हैं; या

(ख) ग्राहक इंटरफेस वाले ऐसे एनबीएफसी, जिनका आस्ति आकार पिछले वित्त वर्ष की लेखा परीक्षित तुलनपत्र की तिथि को 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी विनिर्दिष्ट आस्ति आकार की हो, किन्तु वह एनबीएफसी- निवेश और ऋण कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी), मूल निवेश कंपनी (सीआईसी), इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आइडीएफ-एनबीएफसी) और परिसमापनाधीन कंपनी नहीं हो।

आरंभ में इस योजना में जमाराशि स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत एनबीएफसी को शामिल किया गया था, और 26 अप्रैल 2019 से जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी इस योजना के अंतर्गत लाया गया है।

शिकायतों का आधार

योजना के खंड 8 के अनुसार, एनबीएफसी लोकपाल निम्नलिखित आधारों पर किसी भी शिकायत को स्वीकार और विचार कर सकते हैं :

- i) जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान न करना या अत्यधिक विलंब से भुगतान करना;
- ii) जमाराशियों पर लागू ब्याज दर संबंधी रिज़र्व बैंक के निर्देशों, यदि कोई हो, का पालन न करना;
- iii) जमाराशियों की चुकौती नहीं किया जाना या जमाराशियों की चुकौती अत्यधिक देरी से करना;
- iv) ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए उत्तर दिनांकित चेकों की गैर-प्रस्तुति या प्रस्तुति में अत्यधिक देरी करना;
- v) वार्षिक ब्याज दर और उसकी गणना की विधि सहित नियमों और शर्तों के साथ स्वीकृत ऋण की राशि की लिखित रूप में जानकारी देने में विफलता;

- vi) स्थानीय भाषा या उधारकर्ता द्वारा समझी गई भाषा में स्वीकृति पत्र/स्वीकृति प्रदान करने से जुड़े नियम व शर्तों की जानकारी देने में विफलता अथवा अस्वीकृति;
- vii) उधारकर्ता द्वारा समझी गई स्थानीय भाषा में स्वीकृत नियमों और शर्तों में किए जा रहे प्रस्तावित परिवर्तनों पर पर्याप्त सूचना प्रदान करने में विफलता या अस्वीकृति;
- viii) सभी बकाए की अदायगी पर उधारकर्ता को प्रतिभूतियों/दस्तावेजों को जारी करने में विफलता या अत्यधिक विलंब;
- ix) उधारकर्ता/ग्राहक को पर्याप्त पूर्व सूचना के बिना शुल्क लगाना; संविदा/ऋण समझौते में विधिक रूप से लागू करने योग्य पूर्व व्यवस्थित पुनः कब्जा संबंधी खंड प्रदान करने में विफलता;
- x) अनुबंध/ऋण समझौते में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में निम्नलिखित से संबंधित विफलता: (i) प्रतिभूति के अधिग्रहण से पहले नोटिस अवधि; (ii) जिन परिस्थितियों में नोटिस अवधि से छूट दी जा सकती है; (iii) प्रतिभूति के अधिग्रहण की प्रक्रिया; (iv) प्रतिभूति की बिक्री/नीलामी से पहले ऋण की अदायगी के लिए उधारकर्ता को दिए जाने वाले अंतिम अवसर का प्रावधान; (v) उधारकर्ता को पुनर्ग्रहण देने की प्रक्रिया और (vi) प्रतिभूति की बिक्री/नीलामी की प्रक्रिया;
- xi) रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी को जारी निर्देशों का पालन न करना;
- xii) एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता पर रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अन्य प्रावधानों में से किसी का पालन न करना।

एनबीएफसी लोकपाल, रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट इस प्रकार के अन्य मामलों का निपटान भी कर सकते हैं।

शिकायत की प्रक्रिया

जैसा कि बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय में होता है, एनबीएफसी लोकपाल को भी सीधे शिकायत नहीं किया जा सकता है। इसके लिए शिकायतकर्ता को सबसे पहले संबंधित एनबीएफसी से संपर्क करना अनिवार्य होगा। यदि एनबीएफसी शिकायत प्राप्त होने के बाद एक महीने की अवधि के भीतर उत्तर नहीं देता है, या एनबीएफसी शिकायत को अस्वीकार करता है, या यदि शिकायतकर्ता एनबीएफसी द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह एनबीएफसी लोकपाल के पास उस क्षेत्र में शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में एनबीएफसी की शाखा / पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

शिकायत प्राप्त होने के पश्चात लोकपाल शिकायत को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राप्त शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा:

- i) जिस एनबीएफसी के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है, यदि वह उक्त योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।
- ii) यदि किसी ने शिकायत निवारण के लिए सबसे पहले संबंधित एनबीएफसी से संपर्क नहीं किया है।
- iii) यदि शिकायत का विषय उक्त योजना के खंड 8 के अंतर्गत निर्दिष्ट शिकायत के लिए आधार से संबंधित नहीं है।
- iv) यदि किसी ने एनबीएफसी से उत्तर प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर शिकायत नहीं की है; या यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, और एनबीएफसी लोकपाल को शिकायत एनबीएफसी को शिकायत की तिथि से एक वर्ष और एक महीने की अवधि की समाप्ति के पश्चात की जाती है। यदि शिकायत का विषय निपटान के लिए लंबित है/ पहले ही किसी अन्य फोरम जैसे न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय में कार्रवाई की जा चुकी है।

- v) यदि शिकायत उसी विषय के लिए है जिसे पिछली किसी कार्यवाही में एनबीएफसी लोकपाल के कार्यालय के माध्यम से निपटाया गया था।
- vi) यदि शिकायत ओछी या परेशान करने वाली है।

शिकायत कैसे करें

कोई भी व्यक्ति एक सादे कागज पर लिखकर एनबीएफसी लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकता है और उसे डाक/फैक्स/हैंड डिलीवरी द्वारा एनबीएफसी लोकपाल के संबंधित कार्यालय में भेज सकता है। कोई भी इसे एनबीएफसी लोकपाल को ईमेल से भी दर्ज करा सकता है।

इस योजना के साथ एक शिकायत फॉर्म आरबीआई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, हालांकि, इस प्रारूप का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है। कोई भी अपनी शिकायत एनबीएफसी लोकपाल के उस कार्यालय (एनबीएफसी लोकपाल के पते और संचालन के क्षेत्र का विवरण रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है) में दर्ज करा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में कथित एनबीएफसी की शाखा स्थित है।

केंद्रीकृत परिचालन वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों के लिए, एनबीएफसी लोकपाल के समक्ष शिकायतें वहाँ दायर की जा सकती हैं; जिनके क्षेत्राधिकार में ग्राहक का बिलिंग पता स्थित है।

शिकायत पर कार्रवाई की प्रक्रिया

एनबीएफसी लोकपाल, शिकायतकर्ता और एनबीएफसी के बीच समझौते द्वारा सुलह/मध्यस्थता के माध्यम से शिकायत के निपटारे को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। यदि किसी की शिकायत के पूर्ण और अंतिम निपटान में निपटान की शर्तें (एनबीएफसी द्वारा प्रस्तावित) स्वीकार्य हैं, तो एनबीएफसी लोकपाल निपटान की शर्तों के अनुसार एक आदेश पारित करते हैं; जो एनबीएफसी और शिकायतकर्ता दोनों पर बाध्यकारी है। यदि एनबीएफसी को मौजूदा

मानदंडों और प्रथाओं का पालन करते हुए पाया जाता है तो शिकायतकर्ता को उचित साधनों के माध्यम से इस आशय की जानकारी दी जाती है और शिकायतकर्ता की अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की जाती है। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो एनबीएफसी लोकपाल शिकायत को बंद करने का आदेश पारित करते हैं।

शिकायतकर्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए एनबीएफसी लोकपाल द्वारा यदि कोई मुआवजा राशि दी जा सकती है, तो वह हुई हानि या एनबीएफसी की चूक या 10 लाख रुपये, जो भी कम हो, से सीधे उत्पन्न होने वाली राशि तक सीमित है।

एनबीएफसी लोकपाल मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के कारण शिकायतकर्ता को अधिकतम 01 लाख रुपये तक का मुआवजा दिलवा सकते हैं। एनबीएफसी लोकपाल ऐसे निर्णय पारित करते समय शिकायतकर्ता के समय के नुकसान, शिकायतकर्ता द्वारा किए गए खर्च, शिकायतकर्ता पर किए गए उत्पीड़न और उसकी मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखेंगे।

यदि शिकायत का निपटारा एनबीएफसी लोकपाल द्वारा विनिर्दिष्ट किसी निर्धारित अवधि के भीतर समझौते द्वारा नहीं किया जाता है तो एनबीएफसी लोकपाल एक निर्णय पारित करेंगे। निर्णयादेश जारी करने से पहले एनबीएफसी लोकपाल शिकायतकर्ता और एनबीएफसी को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर देते हैं। यह शिकायतकर्ता पर निर्भर करता है कि वह पूर्ण और अंतिम समझौते में दिये गए निर्णयादेश को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे।

अपील का विकल्प

यदि शिकायतकर्ता अथवा एनबीएफसी को जारी निर्णयादेश स्वीकार नहीं है तो वे अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। योजना के खंड 12 के अंतर्गत जारी निर्णयादेश से व्यथित या योजना के खंड 13 के उप-खंड (सी) से (एफ) में

निर्दिष्ट कारणों के आधार पर शिकायत को अस्वीकार करने के एनबीएफसी लोकपाल के निर्णय से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है। निर्णयादेश या एनबीएफसी लोकपाल द्वारा शिकायत को अस्वीकार करने के निर्णय के विरुद्ध निर्णयादेश प्राप्त होने अथवा शिकायत को अस्वीकार किए जाने की सूचना मिलने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है। अपीलीय प्राधिकारी यदि इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक के पास अपेक्षित समय के भीतर अपील के लिए आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था, तो वे अपील हेतु अधिकतम 30 दिनों की अवधि आगे बढ़ा सकते हैं। अपील प्राप्त होने पर अपीलीय प्राधिकारी निम्नानुसार कार्यवाई कर सकते हैं:

- i) अपील को खारिज कर सकते हैं; या
- ii) अपील की अनुमति दे सकते हैं और निर्णयादेश को निरस्त कर सकते हैं; या
- iii) इस मामले को ऐसे निर्देशों के अनुसार नए सिरे से निपटान के लिए एनबीएफसी लोकपाल को वापस भेज सकते हैं, जो अपीलीय प्राधिकारी को आवश्यक या उचित लगे; या
- iv) निर्णयादेश को संशोधित कर सकते हैं और संशोधित निर्णयादेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं; या
- v) जो उचित हो ऐसा कोई अन्य आदेश जारी कर सकते हैं।

नोडल अधिकारी की नियुक्ति

इस योजना को और अधिक प्रभावी और सरल बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस योजना के पैरा 15.3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को नोडल अधिकारी की नियुक्त के संबंध में भी निर्देश जारी किया है। इस संबंध में जारी निर्देश निम्नानुसार हैं -

- i) इस योजना से जुड़ी सभी एनबीएफसी अपने प्रधान/ पंजीकृत/ क्षेत्रीय/ जोनल कार्यालय में नोडल अधिकारियों (एनओ) की नियुक्ति करेंगे और इसकी सूचना सभी लोकपाल कार्यालयों को देंगे।
- ii) इस प्रकार नियुक्त एनओ, कंपनी का प्रतिनिधित्व करने और एनबीएफसी के विरुद्ध की गई शिकायतों के संबंध में लोकपाल को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- iii) जहां कहीं भी एक लोकपाल के क्षेत्राधिकार में एनबीएफसी के एक से अधिक ज़ोन/क्षेत्र आते हैं, वहां ऐसे ज़ोन अथवा क्षेत्रों के लिए एक प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ) को नामित किया जाएगा।

पीएनओ/एनओ, अन्य बातों के साथ-साथ, योजना के अंतर्गत लोकपाल और अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष संबंधित एनबीएफसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तरदायी होंगे। एनबीएफसी के प्रधान कार्यालय में नियुक्त पीएनओ/एनओ उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी), आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय के साथ सहयोग और समन्वय बनाने के लिए उत्तरदायी हैं।

योजना से जुड़ी एनबीएफसी उनके लिए लागू शिकायत निवारण प्रक्रिया के तहत नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) को पीएनओ अथवा एनओ के रूप में नियुक्त कर सकती है, बशर्ते कि संबंधित अधिकारी संस्था में पर्याप्त रूप से वरिष्ठ हैं। जहाँ किसी ज़ोन के लिए एक से अधिक नोडल अधिकारी हैं, वहाँ पीएनओ एनबीएफसी के विरुद्ध दर्ज शिकायतों के संबंध में लोकपाल के समक्ष कंपनी का प्रतिनिधित्व करने और सूचना देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूती प्रदान करने और इसके प्रभाव को बेहतर करने के लिए एनबीएफसी ऊपर बताए अनुसार कदम उठायेगी। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रधान कार्यालय में नियुक्त पीएनओ/एनओ का नाम व विवरण

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय को अग्रेषित किया जाए। ज़ोन के पीएनओ/एनओ का नाम व विवरण संबंधित ज़ोन के आरबीआई लोकपाल को अग्रेषित किया जाए।

सूचना का प्रदर्शन

योजना से जुड़े एनबीएफ़सी को उनके कारोबारी लेनदेन से जुड़ी शाखाओं/स्थानों पर ग्राहकों के हित में पीएनओ/एनओ/जीआरओ के नाम तथा संपर्क विवरण (फोन/मोबाइल नंबर तथा ई-मेल का पता) तथा ग्राहकों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किये जाने हेतु लोकपाल का नाम तथा संपर्क विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए।

योजना से जुड़ी एनबीएफ़सी को इस योजना की प्रमुख विशेषताओं को (अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में) अपनी सभी कार्यालयों तथा शाखाओं में इस प्रकार प्रदर्शित करना चाहिए कि कार्यालय अथवा शाखा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को यह सूचना आसानी से दिखाई दे। उक्त सभी विवरण

तथा इस योजना की प्रति संबंधित एनबीएफ़सी की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

उपसंहार

यह योजना एनबीएफ़सी के ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली है। यह न केवल ग्राहकों के लिए; अपितु गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए भी लाभकारी है।

त्वरित और शीघ्र शिकायत निवारण की प्रक्रिया से ग्राहकों में विश्वास उत्पन्न होगा और इससे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सेवाओं की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। चूंकि इस योजना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को ही एनबीएफ़सी लोकपाल के रूप में नियुक्त किया जाना है; अतः इस योजना में शामिल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता उत्तम बनाए रखने और लागू निर्देशों का गंभीरता से पालन करने का दबाव रहेगा। इस प्रकार यह योजना एनबीएफ़सी के सर्वांगीण विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।

[इस लेख को तैयार करने में श्री अनुज शर्मा, प्रबंधक, विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी सहयोग किया है।]

स्टार्टअप की कथा-यात्रा

- अशोक कुमार यादव

सहायक प्रबंधक

भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर

कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली से अपनी यात्रा शुरू करने वाला स्टार्टअप आज दुनिया के कोने-कोने तक पहुँच चुका है और वर्तमान में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का सबसे बेहतरीन विकल्प बन कर उभरा है। समय की दृष्टि से देखा जाए तो बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में विश्व क्षितिज पर पदार्पण के बाद से अब तक स्टार्टअप ने एक लम्बी यात्रा तय की है और पूरे विश्व को अपने तेज कदमों से नापा है।

क्या है स्टार्टअप?

स्टार्टअप की कथा-यात्रा शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि स्टार्टअप क्या है। कई

शब्द ऐसे होते हैं जो अपने साथ अपने सम्पूर्ण अर्थ को ध्वनित करते चलते हैं। स्टार्टअप शब्द भी इसी श्रेणी का शब्द है। सरल शब्दों में कहा जाए तो स्टार्टअप का आशय कोई नयी कम्पनी शुरू करने से है। इसकी शुरुआत एक विचार से होती है जो आगे मूर्त रूप लेता है। युवा उद्यमी स्वयं या दो-तीन लोगों के साथ मिलकर स्टार्टअप कम्पनी शुरू करते हैं। स्टार्टअप कम्पनी शुरू करने वाला उद्यमी उसमें शुरुआती पूंजी लगाता है और उसका संचालन भी करता है। ये कम्पनियां ज्यादातर नए उत्पादों या ऐसी सेवाओं पर कार्य करती हैं जो उस दौरान बाजार में उपलब्ध नहीं होती हैं और जिनकी बाजार में खूब मांग रहती है।

स्टार्टअप की परिभाषा क्या है?

स्टार्टअप की परिभाषा समय के साथ आगे बढ़ती और विकसित होती रही है। ग्रैन्ट थार्टन की वर्ष



2015 में प्रकाशित स्टार्टअप रिपोर्ट में स्टार्टअप को ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित किया गया था जो तीन वर्ष या उससे कम समय से निगमित हो और जो साझेदारी फर्म या अस्थायी व्यवसाय इकाई हो। मौजूदा समय में हमारे देश में सर्वस्वीकृत परिभाषा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की है जो इस प्रकार है- एक ऐसी इकाई को

उसके निगमन/ पंजीकरण की तारीख से दस वर्ष तक स्टार्टअप माना जाएगा, जिसका वार्षिक कारोबार निगमन/ पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। भारत

सरकार ने समय-समय पर स्टार्टअप की परिभाषा में आवश्यकतानुसार संसोधन भी किए हैं।

बीसवीं शताब्दी का अंतिम दशक और स्टार्टअप का शुरुआती दौर

बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में स्टार्टअप के हब के रूप में उभरा सिलिकॉन वैली स्टार्टअप, खास कर प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे पसंदीदा स्थल बन गया था जहां एप्पल, गूगल, एचपी, इन्टेल, एडोब, ईबे और कई अन्य बड़ी टेक कंपनियों ने अपने मुख्यालय बनाये थे। इसका जो बड़ा कारण था, वह था सिलिकॉन वैली में उपलब्ध अनुकूल माहौल जो उस दौरान दुनिया के किसी और शहर में नहीं था। और उस समय इस दिशा में जिन देशों ने भी शुरुआती कदम बढ़ाने की कोशिश की उन्हें उतनी सफलता नहीं

मिली जितनी सिलिकॉन वैली को मिल रही थी। उदाहरण के तौर पर फ्रांस के सोफिया एन्टीपोलिस को लिया जा सकता है जहाँ उस समय सरकार द्वारा केन्स के निकट एक इनोवेशन हब बनाने की कोशिश जरूर हुई थी, मगर सफलता उससे कोसों दूर ही रही।

इक्कीसवीं शताब्दी में स्टार्टअप का दुनिया भर में विस्तार

इक्कीसवीं शताब्दी के आने के साथ ही सिलिकॉन वैली को टक्कर देने के लिए कई अन्य जगहों पर सिलिकॉन शब्द नाम के साथ जोड़ते हुए नए स्टार्टअप हब स्थापित होने लगे थे। उदाहरणार्थ- सिलिकॉन ऑली (न्यूयॉर्क), सिलिकॉन वादी (तेल अवीव), सिलिकॉन सेंटियर (पेरिस) आदि। 2000 के दशक में सिलिकॉन रॉउन्डअबाउट का लंदन में उदय होना इसका ही एक उदाहरण है।

वर्ष 2015 के आगमन के साथ दुनिया भर में ऐसी ही स्थिति देखने को मिलने लगी। बर्लिन में तो हर बीस मिनट में एक नया स्टार्टअप खड़ा होने लगा था। और तेल अवीव में तो 'स्टार्टअप नेशन' शब्द एक राजनैतिक नारा न रह कर वास्तविकता के धरातल पर उतरने लगा था। ऐसा अब पहली बार हो रहा था कि 'यूनिकार्न्स' (एक बिलियन डालर से अधिक की वैल्युएशन वाले स्टार्टअप) पर अमेरिका का एकाधिकार नहीं रह गया था। मुम्बई से लेकर प्रॉग और केन्या से लेकर सिंगापुर तक दुनिया भर के प्रतिभाशाली युवाओं की नयी पीढ़ी नवाचार पर एक-से-बढ़-एक विचार लेकर आने लगी थी।

स्टार्टअप का भारत में आगमन : वर्ष 2011-2015 का महत्वपूर्ण समय

भारत में अपने शुरुआती दिनों में स्टार्टअप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, बेंगलुरु और मुम्बई जैसे क्षेत्रों तक ही केंद्रित रहा जहां वर्ष 2015 में कुल निवेश कीमत योगदान 87% था। इनमें से यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवेश कार्य को देखा जाए तो पता चलता है कि देश में स्टार्टअप के शुरुआत के दिनों

में यहाँ सबसे ज्यादा निवेश हुआ, क्योंकि यहां वर्ष 2011 में जहां 15 निवेश थे वहीं वर्ष 2015 में यह आँकड़ा 200 के ऊपर पहुँच गया। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जिन स्टार्टअप में निवेश हुआ उनमें ईकॉम एक्सप्रेस (ईकॉम लॉजिस्टिक), फूडपांडा (फूडटेक), पेपरटैप (हाइपरलोकल), रिविगो (ईकॉम लॉजिस्टिक) और अर्बनक्लैप (ऑन-डिमान्ड सर्विस) मुख्य रहे हैं। (संदर्भ-ग्रैन्ट थार्टन एलएलपी की स्टार्टअप रिपोर्ट- 2015)

देश का आईटी हब कहलाने वाले बेंगलुरु में भी इसी दौरान स्टार्टअप में निवेश की साल-दर-साल अच्छी-खासी वृद्धि देखी गई। यहां वर्ष 2014 में जहां 59 निवेश हुए थे, वहीं वर्ष 2015 में इनकी संख्या बढ़कर 171 हो गई। यहां जिन स्टार्टअप ने वर्ष 2015 में निवेशकों को आकर्षित किया था उनमें ब्लैकबक (ईकॉम लॉजिस्टिक), हाउसज्वाय (ऑन-डिमान्ड सर्विस) और स्विगी (फूड टेक) प्रमुख रहे हैं।

देश में आर्थिक गतिविधियों के मुख्य केंद्रों में मुम्बई का नाम शामिल रहा है जहां स्टार्टअप में निवेशों की संख्या साल-दर-साल बढ़ते हुए वर्ष 2015 में 130 हो गई। इसी तरह वर्ष 2015 चेन्नई, पुणे और जयपुर के लिए भी स्टार्टअप के मामले में बढ़ा ही खास रहा, क्योंकि इसी साल चेन्नई में नेटमेड्स और पुणे में आलीग्रो जैसी स्टार्टअप कंपनियों का आगमन हुआ था।

स्टार्टअप इंडिया योजना का 16 जनवरी 2016 को आरम्भ

वर्ष 2016 के शुरू होने के साथ ही भारत ने स्टार्टअप के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल होने की तैयारी शुरू कर दिया था। भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना आरम्भ की गई। सरकार की इस अग्रणी पहल का उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना और भारत में उद्यमिता के लिए एक सशक्त और समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करना रहा है। इस पहल के अंतर्गत उद्यमियों की

सहायता करने, एक सुदृढ़ स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण को बढ़ावा देने और भारत को रोजगार खोजने वालों के स्थान पर रोजगार सृजन करने वालों के देश में परिवर्तित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गई।

इन कार्यक्रमों के प्रबंधन का कार्य एक समर्पित स्टार्टअप इंडिया टीम द्वारा किया जाता है। स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत, पात्र कंपनियां कर लाभ, अनुपालन में आसानी और अन्य लाभों को प्राप्त करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग से स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती है। इस विभाग द्वारा दिसंबर 2020 तक 590 जिलों में 41,317 स्टार्टअप को मान्यता दी गई। स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत देश में स्टार्टअप की स्थापना को गति देने के लिए सरकार द्वारा कई कार्य किए गए हैं जिनका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है-

1. मोबाइल ऐप और स्टार्टअप इंडिया पोर्टल: स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के एक प्रयास रूप में मोबाइल ऐप और स्टार्टअप इंडिया पोर्टल विकसित किए गए और ये 31 मार्च 2016 से कार्य कर रहे हैं। पोर्टल www.startupindia.gov.in को स्टार्टअप इंडिया हब प्लेटफॉर्म के साथ भी जोड़ दिया गया है जिसे 19 मार्च 2017 को आरंभ किया गया था।

यह पोर्टल स्टार्टअप के लिए एक आभासी इनक्यूबेटर के रूप में कार्य करता है जो स्टार्टअप के इच्छुक, स्टार्टअप और इकोसिस्टम बनाने वालों को एकल-बिंदु डिजिटल मंच प्रदान करता है। दिसंबर 2020 तक पोर्टल द्वारा कुल 42,622 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है।

2. स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष: स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए दस हजार करोड़ रुपये के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में 'स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष' सृजित किया गया। इस कोष का प्रयोजन विभिन्न स्टार्टअप की इक्विटी में निवेश के लिए वैकल्पिक

निवेश निधियों में योगदान देना है। इस कोष का प्रबंधन सिडबी द्वारा अपने प्रचालन दिशानिर्देश के माध्यम से किया जाता है। मार्च, 2017 में इन दिशानिर्देशों में किए गए प्रमुख संशोधनों के बाद, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के लिए 'स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष' से प्राप्त राशि का दोगुना स्टार्टअप में निवेश करना अपेक्षित है।

इसके साथ ही, उन्हें अब किसी कंपनी के स्टार्टअप न रहने के बाद भी उसमें निवेश जारी रखने की अनुमति है।

3. स्टार्टअप केंद्रों, प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर्स और अनुसंधान पार्कों की स्थापना:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आपसी सहयोग से 15 स्टार्टअप केंद्र तथा 15 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर्स स्थापित करने की योजना बनी थी, ताकि देश में स्टार्टअप को और भी सक्षम बनाया जा सके। साथ ही, स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत 8 नए अनुसंधान पार्क स्थापित करने का कार्य भी शुरू हो गया है जिसका उद्देश्य शिक्षा जगत और उद्योग के बीच इनक्यूबेशन और संयुक्त अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) प्रयासों के माध्यम से सफल नवाचार को बढ़ावा देना है।

4. स्टार्टअप इंडिया यात्रा: स्टार्टअप इंडिया ने विभिन्न राज्यों के ग्रामीण और गैर-मेट्रो क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु 2017 में स्टार्टअप इंडिया यात्रा आरंभ की। स्टार्टअप यात्रा का आयोजन 23 राज्यों के 220 जिलों में किया गया है, जिससे 78,346 इच्छुक उद्यमी लाभान्वित हुए।

5. राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग: प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने स्टार्टअप परिवेश के संवर्धन की दिशा में सक्रिय करने के उद्देश्य से, 6 फरवरी 2018 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग संरचना की शुरुआत की गयी। कुल 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस अभ्यास में भाग लिया।

6. स्टार्टअप को सक्षम बनाने के लिए विनियामक सुधार: देश भर में स्टार्टअप को सक्षम बनाने के उद्देश्य से जनवरी 2016 से दिसंबर 2020 तक 39 से अधिक विनियामक सुधार किए गए हैं। स्टार्टअप को गति देने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कर संबंधी अनेक सुधार किए गए। विनियामक सुधारों के अंतर्गत ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 10 जनवरी 2017 से स्टार्टअप कम्पनियों में निवेश के विकल्प के रूप में संपरिवर्तनीय नोटों को अनुमति किया गया। इसके अलावा, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने की दिशा में ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04 सितंबर 2020 के अपने मास्टर निदेश में कहा है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार कृषि और एमएसएमई से इतर गतिविधियों में संलग्न स्टार्टअप को 50 लाख रुपये तक का ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र हेतु वर्गीकरण के लिए पात्र होगा। देश में स्टार्टअप को आगे ले जाने की दिशा में इसे एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है।

7. ब्लॉकचेन आधारित अधिप्रमाणन की शुरुआत: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने दिनांक 6 अक्तूबर 2020 को ब्लॉकचेन-आधारित प्रमाणपत्र सत्यापन प्लैटफॉर्म की शुरुआत की है। यह विभाग मान्यता-प्राप्त स्टार्टअप्स को स्टार्टअप इंडिया प्लैटफॉर्म के माध्यम से प्रमाणपत्र जारी करता है।

8. राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार: उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम इनेबलरों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पहली बार अक्तूबर 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार वितरित किए गए। इन पुरस्कारों के माध्यम से उन स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो नवोन्मेषी उत्पाद बनाने या समाधान देने के कार्य में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार-2020 प्रतियोगिता में कुल 1641 स्टार्टअप्स ने सहभागिता की थी जिसमें से 36 स्टार्टअप्स विजेता घोषित हुए थे। इसकी सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप

पुरस्कार-2021 को भी शुरू की जिसमें सहभागिता की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 रखी गयी थी। इन पुरस्कारों के माध्यम से सरकार देश में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित कर रही है और अपने 'आत्म निर्भर भारत' मिशन की दिशा में आगे बढ़ रही है।

सरकार के इन्हीं प्रोत्साहनपरक और प्रभावी कदमों के बदौलत ही आज भारत को स्टार्टअप के मामले में अग्रणी देशों में गिना जाने लगा है। व्यापार में सुगमता, मेक इन इंडिया जैसी पहल से स्टार्टअप को संबल ही मिल रहा है। भारत में स्टार्टअप को लेकर सरकार की प्रोत्साहनपूर्ण नीतियों का ही परिणाम है कि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन पाया है।

विश्व भर में सरकारों की प्रोत्साहनपरक नीतियां और हालिया वैश्विक परिदृश्य

भारत के साथ-साथ, विश्व में और भी कई ऐसे देश हैं जहां की सरकारें स्टार्टअप पर ऐसी प्रोत्साहनपरक नीतियां बना रही हैं जो उन्हें स्टार्टअप इनोवेशन हॉटस्पॉट में तब्दील करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। इनमें सिंगापुर, कोरिया गणराज्य, ब्राजील, केन्या और इजराइल जैसे देश विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जो हाल के दिनों में इनोवेशन हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं।

इन देशों में स्टार्टअप के प्रदर्शन ने सिद्ध कर दिया है कि स्टार्टअप अब सिलिकॉन वैली या लंदन के भीतर ही सीमित नहीं है, बल्कि कोई भी देश स्टार्टअप को प्रोत्साहित करके इस मामले में हॉटस्पॉट बन सकता है। इन पांच देशों में सिंगापुर का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम की हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट में समग्र प्रदर्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय विकास के क्षेत्रों में प्रदर्शन के मामले में सिंगापुर सर्वश्रेष्ठ आया है। नवाचार क्षमता के मामले में सिंगापुर को 13वां रैंक प्राप्त है।

इसी तरह, तेल अवीव को इजराइल की स्टार्टअप राजधानी के रूप में ख्याति प्राप्त है। अभी इजराइल

में प्रति व्यक्ति के हिसाब से स्टार्टअप्स की संख्या विश्व में सबसे अधिक है और वह डीप टेक्नॉलॉजी में विश्व गुरु बन गया है। इसके बाद है दक्षिण कोरिया, जहां बड़ी कंपनियां सैम्संग और एलजी हैं। वर्ष 2017 में दक्षिण कोरिया की सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एसएमई एंड स्टार्टअप्स बनाया था जिसका उद्देश्य स्टार्टअप के लिए नवाचार गतिविधियों को संबल प्रदान करना है।

इसी तरह की स्थिति केन्या और ब्राजील की भी है। ब्राजील की सरकार देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के उत्थान के लिए विभिन्न नितियों का निर्माण कर रही है। वर्ष 2018 में सरकार ने ब्राजीलियन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी की शुरुआत की थी जिससे वहां इनोवेशन इकोसिस्टम में कई सुधार संभव हो सके। स्टार्टअप जीनोम की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 के अनुसार, लैटिन अमेरिका से विश्व के शीर्ष 30 वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल होने वाला एक मात्र शहर साओ पॉलो है जो ब्राजील सरकार की प्रोत्साहनपरक नीतियों के कारण ही हो सका है।

उपसंहार

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इक्कीसवीं सदी के आरम्भ से ही तेज रफ्तार पकड़ते हुए स्टार्टअप ने पूरे विश्व की तस्वीर ही बदल दी है। आने वाला समय स्टार्टअप का ही होने वाला है। एक समय जो युवा पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश करते फिरते थे, आज स्टार्टअप ने उन्हें सफल रोजगार प्रदाता बना दिया है। अब यह पूरे विश्व में युवाओं का सबसे पसंदीदा क्षेत्र बन गया है। यह सत्य है कि स्टार्टअप के मामले में शीर्ष चार स्थानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, इजराइल और कनाडा ही काबिज

हैं, लेकिन अनुकूल माहौल और सरकार की प्रोत्साहनपूर्ण नीतियों के चलते स्टार्टअप के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले दूसरे देश भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में एक-दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए हैं।

भारत की गणना भी स्टार्टअप के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने वाले देशों में की जाती है और वह फ्लिपकार्ट, कारदेखो और मेकमाईट्रिप जैसे अति लोकप्रिय स्टार्टअप्स के साथ आगे बढ़ते हुए साल-दर-साल बेहतर बनता जा रहा है। हालांकि वर्ष 2020 भारत के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वर्ष 2020 में टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम होने के बावजूद, वह स्टार्टअप की गुणवत्ता, उनकी संख्या के साथ-साथ व्यावसायिक माहौल के मामले में स्टार्टअप ब्लिंक के 100 देशों की रैंकिंग में 2019 के अपने 17वें रैंक से फिसलकर 2020 में 23वें रैंक पर पहुंच गया है।

इसमें सुधार के लिए भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की जरूरत है। साथ ही, भारत सहित पूरे विश्व को कोविड-19 के आघात से उबरने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस महामारी ने जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रासरी से जुड़े कुछेक स्टार्टअप्स को फायदा पहुंचाया है तो वहीं यात्रा और सिनेमा से जुड़े स्टार्टअप्स को नुकसान भी पहुंचाया है।

समय के साथ स्थिति में हो रहे सुधार से फिर से अच्छे संकेत मिलने लगे हैं जो विश्व भर में स्टार्टअप से जुड़े लोगों या इससे जुड़ने की आशा रखने वाले लोगों को नयी उर्जा देने लगा है।

संदर्भ:

1. ग्रैन्ट थार्टन एलएलपी की स्टार्टअप रिपोर्ट- 2015
2. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट- 2018-19 एवं 2019-20, और इसी विभाग द्वारा स्टार्टअप इंडिया की 5 वर्षों की उपलब्धियों पर जनवरी 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट
3. स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट- www.startupindia.gov.in
4. भारतीय रिजर्व बैंक का "भारत में विदेशी निवेश" पर दिनांक 04 जनवरी 2018, और "प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल)- लक्ष्य और वर्गीकरण" विषय पर दिनांक 04 सितंबर 2020 का मास्टर निदेश
5. investopedia.com और wikipedia.com
6. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रकाशित स्टार्टअप पर Carlo Ratti और Saemoon Yoon के लेख
7. StartupBlink वेबसाइट-<https://www.startupblink.com/startups/india> और इसकी इकोसिस्टम रिपोर्ट-2020
8. स्टार्टअप की वर्ष 2020 में स्थिति की समीक्षा - दी इकोनॉमिक टाइम्स, 31 दिसंबर 2020
9. भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार-2021 संबंधी दिशानिर्देश।

बैंक में मानव संसाधन का समुचित प्रबंधन : समय की आवश्यकता

- राजीव कुमार

मुख्य प्रबंधक, राजभाषा विभाग
बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय
बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसकी उन्नति, प्रगति एवं विकास संभव नहीं है। प्राचीन काल से लेकर आज तक मनुष्य ने प्रबंधन को किसी न किसी रूप में अपनाया है। यदि 'कौटिल्य' के नाम से विख्यात आचार्य चाणक्य जैसा गुरु किसी चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाता है तो वह अवश्य ही चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है। आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में चन्द्रगुप्त मौर्य ने उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली राजा धनानन्द को हराया और आगे चलकर वही चन्द्रगुप्त मौर्य अपने यश के कारण विश्वविख्यात हुआ और उसने आचार्य चाणक्य के अखंड भारत के सपने को साकार किया। प्राचीन महाकाव्य 'रामायण' में चरणबद्ध तरीके से भगवान श्रीराम की रावण पर विजय को प्रबंधन के सटीक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

प्रबंधन को आप केवल एक शब्द या वाक्य में सीमित नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार उचित अनुशासन के बिना मनुष्य को अपने निजी जीवन में प्रगति एवं उन्नति नहीं मिल सकती है, उसी प्रकार, कोई भी बैंक या संस्था उचित प्रबंधन के बिना प्रगति एवं उन्नति नहीं कर सकती है। बैंक को चलाने के लिए भी एक व्यवस्था स्थापित करनी पड़ती है, उसे ही व्यवसाय की दृष्टि से प्रबंधन कहा

जाता है। सुचारु प्रबंधन के लिए प्रत्येक संस्था अपने लिए नियम, विनियम, संहिता (कोड) आदि तैयार करती है ताकि संस्था सुव्यवस्थित रूप से कार्यनिष्पादन कर सके और अपनी स्थापना के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। मानव संसाधन का समुचित प्रबंधन करना आज बैंकों में महत्वपूर्ण कार्य है। सही समय पर, सही दिशा में और सही मार्गदर्शन मनुष्य की कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। यदि किसी व्यक्ति की ऊर्जा का सही तरह से उपयोग न किया जाए तो उसकी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। अतः कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन वह प्रबंधन होता है जिसमें बैंक प्रत्येक कर्मी से उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार, उचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करते हुए बैंक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बैंकिंग कार्य करवाता है।

भारत में बैंकों का इतिहास काफी पुराना है। भारत में इसकी शुरुआत 1806 बैंक ऑफ़ बंगाल, बैंक ऑफ़ बाम्बे, बैंक ऑफ़ मद्रास से हुई और तब से अब तक अनेक बैंकों की स्थापना हो चुकी है। अब तक बैंकिंग में काफी परिवर्तन हो चुके हैं और यह निरंतर जारी है। आज का युग तकनीकी के साथ विशेषज्ञता का युग है। मैनुअल बैंकिंग से होते हुए आज बैंकिंग डिजिटल हो चुकी है। बैंकों में मानव संसाधन का समुचित प्रबंधन करने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है :



बैंक में मानव संसाधन की पहचान करना : जिस प्रकार इस दुनिया में हर वस्तु अलग प्रकार की होती है उसके अपने विशिष्ट गुण होते हैं, उसी प्रकार, हर व्यक्ति की अपनी कुछ विशेषता होती है। बैंक प्रबंधन का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक स्टाफ सदस्य के विशेष गुणों की पहचान कर उसे उसकी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप कार्य में संलग्न करें ताकि उसकी क्षमता एवं सामर्थ्य का बैंक हेतु उचित उपयोग हो सके।

बैंक में मानव संसाधन का महत्व : बैंकिंग सेवा क्षेत्र में ग्राहक संतुष्टि ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विश्व में सभी बैंकों में बैंक कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण आस्तिक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है।

मानव संसाधन का उपयोग : मानव संसाधन का उचित उपयोग करने हेतु बैंक प्रबंधन को अपने कार्मिकों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें कौशल प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने कार्य-क्षेत्र में बेहतर कार्यनिष्पादन कर सकें और बैंक प्रगति में अपना शत-प्रतिशत योगदान कर सकें। बैंक प्रबंधन की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह अपने कार्मिकों को समय-समय पर अद्यतन जानकारी प्रदान करता रहे और उन्हें कार्यकुशल बनाए रखे ताकि वे बैंक के लिए अपना सक्रिय सहयोग जारी रखें।

मानव संसाधन का वर्गीकरण : मानव संसाधन में अकुशल कामगार, अर्द्धकुशल कामगार, कुशल कामगार, साधारण कार्मिक, विशेषज्ञ कार्मिक इत्यादि शामिल रहते हैं। बैंक में आईबीपीएस द्वारा सामान्य बैंकिंग अधिकारियों एवं लिपिकों के साथ-साथ, विशेषज्ञ अधिकारियों की भी भर्ती की जाती है। विशेषज्ञ अधिकारियों में विधि, सुरक्षा, सांख्यिकी, तकनीकी, औद्योगिक संबंध, तकनीकी मूल्यांकन, मानव संसाधन, विपणन, राजभाषा, सूचना प्रौद्योगिकी, कंपनी सचिव, चार्टर्ड एकाउंटेंट इत्यादि शामिल होते हैं।

कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना : मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी कर्मी बिना विशेष प्रशिक्षण के न रहे। सभी स्टाफ सदस्यों को एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए :

शालीनतापूर्ण एवं विनम्र व्यवहार करना : आज का युग भौतिकवाद का युग है। कोई भी ग्राहक वस्तु या सेवा प्राप्त करने के साथ ही वहां के स्टाफ सदस्यों से शालीनतापूर्ण व्यवहार की भी अपेक्षा करता है। सभी स्टाफ सदस्यों को बहुत ही विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। एक कहावत है कि 'वचनं किम् दरिद्रता' अर्थात् मनुष्य को वाणी के व्यवहार में कभी भी दरिद्र नहीं होना चाहिए। आशय यह कि आहत करने वाली बात हमें नहीं कहनी चाहिए।

समयबद्धता एवं अनुशासन : बैंक में सभी स्टाफ सदस्यों को समयबद्धता के बारे में अवश्य संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। उन्हें समय से बैंक आने व जाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

निरंतर सीखने की ललक उत्पन्न करना : कार्मिकों में बैंकिंग कामकाज सीखने की हमेशा ललक होनी चाहिए ताकि वे बेहतर कार्यनिष्पादन करने में समर्थ हो सकें। सीखने की ललक एकलव्य जैसी होनी चाहिए।

सतर्क एवं जागरूक बनाना : बैंक प्रबंधन को अपने स्टाफ सदस्यों को भारत सरकार एवं आरबीआई आदि के दिशा-निर्देशों की जानकारी देते रहना चाहिए ताकि बैंकों में होने वाली धोखाधड़ियों से बचा जा सके। आजकल डिजिटल युग है और जहां इंटरनेट से बहुत-सी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वहीं इससे धोखाधड़ियां भी बढ़ी हैं।

कार्मिकों में आपसी समन्वय : बैंक प्रबंधन को अपने सभी कार्मिकों विशेष रूप से नवनियुक्तों में

आपसी समन्वय को बढ़ावा देने के लिए यह प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। नवनियुक्त बैंक कर्मियों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य अनुभव का लाभ प्राप्त करते हुए अपने दैनिक बैंकिंग कामकाज में उसका उपयोग करना चाहिए। वरिष्ठ कार्मिक नवनियुक्त कार्मिकों को अपने प्रतिस्पर्धी के रूप में न लें, अपितु उन्हें अपने अनुभव से इस प्रकार कार्यों की जिम्मेदारी को संभालने हेतु तैयार और प्रेरित करें कि नवनियुक्त कार्मिकों की क्षमता व संभाव्यता का पूर्ण उपयोग संस्था की प्रगति के लिए हो सके। नवनियुक्त कर्मी भी अपने वरिष्ठजनों के प्रति आदरभाव रखें और उनसे सीखने की इच्छा भी।

मानव संसाधन के उचित प्रबंधन से किसी भी बैंक के निर्धारित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। मानव संसाधन का इतना अधिक महत्व है कि आज सभी बैंकों में मानव संसाधन विभाग स्थापित किए गए हैं और उनमें मानव संसाधन विशेषज्ञों की तैनाती की जाती है जो बैंक में कार्मिकों की भर्ती, तैनाती, प्रशिक्षण, पृथक्करण, पदोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई आदि कार्यों को करते हैं और ये विभाग कार्मिकों को उनके आचरण, व्यवहार एवं कार्यनिष्पादन के आधार पर प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हैं।

अव्यवस्थित मानव संसाधन प्रबंधन से हानि : जहां मानव संसाधन का उचित प्रबंधन नहीं होता है तो वहाँ कारोबार में कभी भी अपेक्षित विकास नहीं हो पता है। कारोबार जगत में बैंक की अच्छी छवि का बहुत अधिक महत्व होता है। जिस बैंक की साख्र जितनी अच्छी होती है उसके विकास के अवसर उतने ही अधिक होते हैं।

समुचित मानव संसाधन प्रबंधन से लाभ : मानव संसाधन का उचित प्रबंधन करना बैंक के सर्वांगीण हित में होता है। समुचित मानव संसाधन प्रबंधन से विभिन्न लाभ होते हैं जैसे (क) टीम भावना का विकास- मानव संसाधन का उचित प्रबंधन होने पर ही कार्मिकों में एक टीम भावना का विकास होता है,

(ख) योग्यता एवं क्षमता- कार्मिकों को उनकी क्षमता एवं योग्यता के आधार पर किसी शाखा या कार्यालय आदि में तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे अपने कार्यनिष्पादन को पूरी लगन एवं मेहनत से कार्यान्वित कर सकें, (ग) देश की अर्थव्यवस्था का आधार- बैंकों में मानव संसाधन प्रबंधन वास्तव में स्टाफ सदस्य से उसकी योग्यता, क्षमता व उसकी रुचि के अनुसार कार्य करवाता है। कुशल मानव संसाधन प्रबंधन के बल पर ही तो अमेज़ॉन, फेसबुक, वाट्सअप, टीसीएस, विप्रो आदि कम्पनियां निरंतर लाभ कमाते हुए आगे बढ़ रही हैं, (घ) समग्र विकास में सहायक- कार्मिकों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन सभी तरह से विकास में सहायक होता है, (ड.) बैंक प्रबंधन एवं बैंक एसोसिएशनों/यूनियनों में समन्वय- बैंक प्रबंधन को कार्मिकों के हितों का पूरा ध्यान रखना चाहिए तथा उनकी उचित मांगों को मानना चाहिए। ऐसा करने से कार्मिकों में व्याप्त असंतोष की भावना दूर होती है। दोनों में आपसी समन्वय से ही बैंक की प्रगति एवं बैंक कारोबार में वृद्धि होती है।

मानव संसाधन के समुचित प्रबंधन संबंधी बिन्दु : बैंकों में मानव संसाधन का उचित प्रबंधन करना सदैव महत्वपूर्ण होता है। यह विदित है कि प्राचीन समय में कामगारों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था परन्तु श्रम सुधारों के कारण आज बैंकों के प्रबंधन को कामगारों के कल्याण संबंधी कार्यों पर भी ध्यान देना पड़ता है। बैंक में मानव संसाधन का समुचित प्रबंधन करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए :

शैक्षिक योग्यता एवं रुचि : कार्यों के आबंटन के समय कर्मियों की शैक्षिक योग्यता, रुचि एवं उनकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखने से न केवल कार्यनिष्पादन तीव्र होगा अपितु संबंधित कर्मियों को कार्य संतुष्टि भी मिलेगी।

समयबद्धता : प्रबंधन में समयबद्धता का महत्वपूर्ण स्थान है। अतएव समयबद्धता का पालन करना अति आवश्यक है और कार्यालय का वातावरण

ऐसा होना चाहिए कि कर्मचारी उत्साह से भरे हों और क्योंकि समयबद्धता का अपना एक विशेष महत्व है जो कि बैंक में अनुशासन का आधार बनता है।

मनःस्थिति को समझना : कार्मिकों की मन की भावनाओं को समझना ही मानव संसाधन का मनोवैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। बैंक को अपने कार्मिकों की मनःस्थिति को समझने के लिए समय-समय पर विशेष अध्ययन एवं सर्वेक्षण करवाते रहना चाहिए क्योंकि असंतुष्ट कार्मिक कभी भी बैंक के लिए अच्छे कार्मिक सिद्ध नहीं हो सकते हैं। बैंक भी तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके अपने कार्मिक संतुष्ट हों।

स्वास्थ्य का ध्यान रखना : पुरानी संस्कृत कहावत है कि 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्' अर्थात् शरीर ही सभी धर्मों (कर्तव्यों) को पूरा करने का साधन है। मनुष्य को अपने शरीर को सेहतमंद बनाए रखना जरूरी है। शरीर से ही सबकुछ संभव होता है। बीमार व्यक्ति इस संसार में कुछ नहीं कर सकता है। शरीर की रक्षा करना व इसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। बैंक को अपने कार्मिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करवानी चाहिए।

साथ ही, सभी बैंक कार्मिकों को योग, आसान, प्राणायाम एवं शारीरिक व्यायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो समझिए सबकुछ ठीक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसके साथ ही, बैंक को सदैव अपने कार्मिकों को तनावमुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि बैंक कार्मिकों की कार्यनिष्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। बैंक कार्मिकों में खुशहाली एवं अच्छा कार्य व्यवहार विकसित करने के लिए तनावमुक्त वातावरण अनिवार्य शर्त है। बैंक को अपने कार्मिकों के मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। मनोरंजन व्यक्ति को उदासी की गर्त से निकालकर खुशियों की बगिया में ले जाता है।

संगीत, कला, नृत्य आदि के बिना जीवन नीरस होता है।

बेहतर आवास सुविधा प्रदान करना : बैंक प्रबंधन को अपने कार्मिकों को सदैव अच्छे वातावरण में अच्छी आवास सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि उनमें अपने बैंक के प्रति गर्व का भाव रहे। अच्छी जगह रहने से भी बैंक कार्मिकों की कार्यनिष्पादन क्षमता में वृद्धि होती है।

कौशल विकसित करना : कार्मिकों के कौशल विकास के लिए सदैव नए-नए विषयों पर शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विषय विशेष की जानकारी संबंधी ऑडियो-वीडियो क्लिप, कोई प्रेरक कहानी, लघु फिल्म आदि हो सकती है जो कार्मिकों के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है।

आपसी सामन्जस्य बढ़ाना : कार्मिकों में आपसी सामन्जस्य बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाये जाने चाहिए। आपसी सामन्जस्य हेतु कार्मिकों में एक दूसरे का सम्मान करना जैसे व्यावहारिक गुणों का विकास अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि आपसी सामन्जस्य से उत्पादन एवं सेवा निष्पादन में सुधार होता है।

पदोन्नति के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना : बैंक प्रबंधन को अन्य बातों के साथ-साथ कार्मिकों को ज्यादा से ज्यादा पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि कार्मिकों में उत्साह बना रहे। हालांकि, पदोन्नति के लिए योग्य एवं कर्मठ कार्मिकों का ही चयन किया जाना चाहिए।

स्थानांतरण एवं तैनाती : बैंक की सेवा स्थानांतरणीय है। कार्मिकों को एक निश्चित समय-सीमा के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) आदि के अद्यतन दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्मिकों को एक निश्चित समय-समय तक ही एक स्थान पर तैनात रखा जाता है।

हालांकि, कार्मिकों के स्थानांतरण एवं तैनाती के समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए ताकि कुछ जरूरतमंद कार्मिकों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

बीमा कवर प्रदान करना : बैंक प्रबंधन को सभी कार्मिकों को सुरक्षित बीमा कवर प्रदान करना चाहिए ताकि उनके साथ घटी किसी भी अप्रिय घटना (मृत्यु या घायल होने) के बाद उनके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। वर्तमान में, कोरोना महामारी (कोविड-19) के दौरान इस बीमारी से भारत में बैंकों में अप्रैल से दिसम्बर, 2020 तक सैकड़ों कर्मियों की मृत्यु हो चुकी है। बैंक प्रबंधन द्वारा उनके परिवारों को संबंधित बीमा राशि प्रदान की गई है।

कार्मिकों की आंतरिक शिकायतों का तीव्र समाधान करना : कार्मिकों की आंतरिक शिकायतों का तीव्र समाधान किया जाना चाहिए। इससे कार्मिकों का बैंक प्रबंधन में विश्वास बढ़ता है। कार्मिकों के हित एवं कल्याण हेतु बैंक प्रबंधन को विविध प्रावधान करने चाहिए जिससे कार्मिकों में जोश एवं उत्साह बना रहता है।

अवकाश की सहज मंजूरी : कार्मिकों को जहां तक संभव हो सके, अवकाश की सहज मंजूरी प्रदान की जानी चाहिए। अवकाश की मंजूरी को सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए।

सेवानिवृत्ति लाभों का तत्काल संवितरण : सभी कार्मिकों को सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों का संवितरण तत्काल किया जाना चाहिए। इस परिपाटी से, अन्य बैंक कार्मिकों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।

पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन आरंभ करना : पेंशन सामाजिक सुरक्षा है जिससे सेवानिवृत्ति के बाद उस पेंशनभोगी एवं उसके परिवार का भरण-पोषण होता है। बैंकों में कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के अगले माह से पेंशन या पारिवारिक पेंशन मिलती है। इससे

उनके मन में बैंक की बेहतर छवि का निर्माण होता है। इसमें देरी होने से कर्मियों में असंतोष की भावना रहती है।

सेवा के दौरान मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति आधार पर नियुक्ति : यदि सेवा के दौरान किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो बैंक द्वारा उसके परिवार की आर्थिक सहायता हेतु परिवार के किसी एक सदस्य को बैंक में क्षतिपूर्ति आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

कार्मिकों के आवश्यक कर्तव्य एवं दायित्व : जहां बैंक प्रबंधन को अपने कार्मिकों की प्रत्येक आवश्यकता का ख्याल रखना अनिवार्य है, वहीं बैंक कार्मिकों का भी यह दायित्व है कि वे अपने बैंक के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में उत्कृष्ट योगदान करें। अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्हें बैंक प्रबंधन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए। बैंककर्मियों को हमेशा ही अपने सहकर्मियों एवं ग्राहकों आदि के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इससे बैंक का कारोबार बढ़ता है।

साथ ही, उन्हें अपनी शाखा/कार्यालय में कार्य करते समय सदैव निष्पक्ष रहना चाहिए और ग्राहकों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। बैंक एक वित्तीय संस्था है, जहां कार्मिकों को सतर्कता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि एक प्रचलित कहावत है 'सावधानी हटी, दुर्घटना घटी' अर्थात् हमेशा सतर्कता एवं सावधानी बरतनी चाहिए। बैंकिंग में, वित्त से संबंधित कामकाज होने के कारण किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता है। धोखाधड़ियों को रोकने के लिए हमें सदैव सावधान एवं सतर्क रहकर कार्य करना चाहिए।

बैंक में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई, अपने बैंक एवं अन्य संबंधित संस्थाओं इत्यादि के निर्देशों एवं अनुदेशों का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। बैंक

प्रबंधन को बैंक कार्मिकों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। इसके लिए सभी कार्मिकों को अपने अहं को छोड़कर एक दूसरे की मदद करते हुए अपने बैंकिंग कार्य को करना चाहिए। बैंक की बेहतर छवि का निर्माण करने के लिए सभी बैंक कार्मिकों को सदैव सक्रिय प्रयास करते रहना चाहिए। बैंक कार्मिकों को बैंक की अच्छी छवि निर्मित करनी चाहिए ताकि लोगों में बैंक के प्रति विश्वास उत्पन्न हो सके।

बैंक की विभिन्न नीतियों आदि की गोपनीयता को सदैव बनाए रखा जाना चाहिए। बैंक प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका कोई भी स्टाफ सदस्य बैंकिंग नीतियों से संबंधित कोई भी सामग्री सोशल मीडिया पर अपलोड न करे। यदि कोई कर्मि इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।

साथ ही, कार्मिकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए आदेशों, निर्देशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से कार्मिकों के मध्य एक स्पष्ट संदेश जाता है कि यदि वे आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष

भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मानव संसाधन प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन का देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बैंक में लाभप्रदता नामक सीढ़ी पर कुशल मानव संसाधन प्रबंधन के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है।

आज भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों में एमबीए या परास्नातक आदि पाठ्यक्रमों में मानव संसाधन को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है जो इसके बढ़ते महत्व को दर्शाता है। यह एक विशेषज्ञता क्षेत्र है जिसका ज्ञान संस्था के लिए अत्यन्त हितकर है।

केवल बैंक में ही नहीं, अपितु किसी भी व्यावसायिक संस्था में मानव संसाधन का समुचित और कुशल प्रबंधन अनिवार्य है। वस्तुतः संस्था का प्रबंधन और उसके द्वारा प्रबंधित मानव संसाधन विकास के दो पहिए हैं जो परस्पर विश्वास, निष्ठा, समर्पण और सदभाव रूपी आधार से जुड़े हुए हैं। दोनों में उचित सामंजस्य से ही किसी बैंक या संस्था का और मानव संसाधन का संतुलित विकास संभव है।

देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई का योगदान

- मधु दिवेदी

सहायक महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली

किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश के सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक संरचना, रोजगार सृजन व मानव संसाधन शक्ति पर निर्भर करता है। भारत में अभी भी बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहती है जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इनमें से बहुत के पास न तो नौकरी है और न ही खेती के लिए जमीन। उनके पास उनका कौशल व हुनर ही है जिसके सहारे वे किसी तरह जीवन यापन करते हैं। उनके इस कला-कौशल को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में जोड़ना अति आवश्यक है जिससे एक ओर कारीगरों को काम मिले व उनकी आय में वृद्धि हो, वहीं दूसरी ओर स्थानीय कला-कौशल को वृहत आयाम मिले।



भारत में लाखों लोगों की आजीविका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर निर्भर करती है और ये देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 29 प्रतिशत का योगदान करते हैं। सरकार द्वारा इस वर्ग हेतु रोजगार सृजन एवं अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विशेष महत्त्व दिया तो जा रहा है परंतु समुचित दिशा-निर्देशों की जानकारी एवं निवेश हेतु धन की कमी के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की भूमिका

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का कुल विनिर्माण उत्पादन में

45%, कुल निर्यात में 40% एवं सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान है। एक अनुमान के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम द्वारा 6000 से अधिक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। आज इस क्षेत्र में 36 लाख से अधिक इकाइयां हैं जो 80 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। एमएसएमई क्षेत्र को बड़े और वैश्विक उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नवीन दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। भारत सरकार एवं रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से आशय ऐसे उद्यमों से हैं जो निर्माण या उत्पादन, प्रसंस्करण या माल के संरक्षण तथा सेवाएं उपलब्ध कराने या प्रतिपादन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानदंड पूर्ण करते हैं। जून 2020 में राहत घोषणा पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को लागू करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा की घोषणा की। एमएसएमई की नई परिभाषा निम्नवत है:

उद्योग	नई परिभाषा	उद्योग की श्रेणी
सूक्ष्म उद्योग	एक करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट और पाँच करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले उद्योग को सूक्ष्म उद्योग यानी माइक्रो इंटरप्राइज माना गया है।	मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस-दोनों सेक्टर।
लघु उद्योग	दस करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले इंटरप्राइज को स्मॉल यूनिट (लघु उद्योग) माना गया है।	मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस-दोनों सेक्टर।
मध्यम उद्योग	50 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वालों को मीडियम इंटरप्राइज (मध्यम उद्योग) माना गया है।	मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस-दोनों सेक्टर।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए चुनौतियाँ एवं ऋण प्रवाह की स्थिति

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम आज जहां वित्त की अपर्याप्तता और पूंजी की कमी से ग्रस्त हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि उन्हें उचित दिशा-निर्देशों की जानकारी नहीं हो पाती और वे समय पर बड़ी कंपनियों के संपर्क में भी नहीं आ पाते हैं। आज के प्रतियोगी समय में कारीगरों को कुशल प्रशिक्षण, कार्यशक्ति, वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास, मूलभूत संरचना संबंधी जानकारी, बाजार-निर्माण की जानकारी, उचित तकनीक की उपलब्धता का होना अत्यधिक आवश्यक है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को देखते हुए श्री यू के सिन्हा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जिसने 18 जून, 2019 को अपनी रिपोर्ट दी थी। समिति ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए वैधानिक एवं संस्थागत ढांचे, वित्त

तक पहुँच, क्षमता निर्माण और नये प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों जैसे मामलों को लेकर विभिन्न सिफारिशों की हैं। वर्ष 2020 की कारोबार सुगमता (Ease of Doing Business) रैंकिंग में भारत 61 वें स्थान पर है। यह रैंकिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूरे विश्व में व्यापार करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में भारत के बारे में विश्व के उद्यमी समुदाय की सकारात्मक मनोवृत्ति को दर्शाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सरकार व भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों व उपायों के कारण इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह काफी बढ़ा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के विकास लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास

- ❖ माइक्रो यूनिट्स का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करने हेतु व उन्हें वित्तीय सहायता व सेवा प्रदान करने का लिए 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना (MUDRA) की घोषणा की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य माइक्रो यूनिट्स यथा कुटीर उद्योगों को धन की सहायता प्रदान करना है। मुद्रा ऋण की प्राथमिक शर्त ही यह है कि इसका विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवा क्षेत्र की गतिविधि के लिए प्रयोग किया जाना है तथा ऋण राशि 10 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। मुद्रा (MUDRA) योजना देश भर में सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध है।
- ❖ 'मेक इन इंडिया' की शुरुआत में प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में 'जीरो डिफेक्ट; जीरो इफेक्ट' नीति पर जोर दिया था। अब 'लोकल फॉर वोकल' एवं 'आत्मनिर्भर भारत' के रूप में इसका विस्तार हो गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के अंदर 1 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत करने की योजना भी लाई गई है। नए या वर्धक ऋणों पर सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए 2% का ब्याज अनुदान घोषित किया गया है।
- ❖ इसके अलावा, 6000 करोड़ रुपए की लागत से 100 प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जाने हैं। फ़ार्मा

क्लस्टर्स को स्थापित करने के लिए भी 70% राशि भारत सरकार वहन करेगी। साथ ही, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 मिलियन से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि उन्हें जीविकोपार्जन में मदद मिले। 'स्टार्ट-अप इंडिया' तथा 'स्टैंड-अप इंडिया' सहित स्व-रोजगार योजनाओं के माध्यम से भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ावा दिया जा रहा है।

❖ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को उधार देने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश/ अनुदेश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को समय समय पर जारी किए जाते हैं। इसी क्रम में 3 लाख करोड़ रुपए के जमानत रहित ऋण एवं 20,000 करोड़ रुपए के सहायक ऋणों का प्रावधान भी किया गया है। 6 फरवरी 2020 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) को 31 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को खुदरा ऋण के रूप में दी गयी वृद्धिशील ऋण राशि के समतुल्य राशि को 5 वर्ष (ऋण देने की तारीख या ऋण की अवधि से, जो भी पहले हो की अवधि के लिए, आरिक्त नकदी निधि (सी आर आर) में छूट की घोषणा की गयी है।

❖ 24 मार्च 2020 को वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के खिलाफ दिवाला कायर्वाही की प्रवृत्ति रोकने के लिए दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 4 के अंतर्गत चूक की प्रारंभिक सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के पाँच चरणों में मई 2020 में घोषित उपायों में एमएसएमई को भी शामिल किया गया है। एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेनशन योजना (आईएसएस) संबंधी परिचालनगत दिशा-निर्देशों में संशोधन जारी किया गया है। एमएसएमई के लिए प्रति उधारकर्ता 20 लाख रुपए तक का आगे उधार देने के लिए पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई से इतर) को बैंक ऋण का पात्र बनाया गया है।

❖ सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र की इकाइयों को 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए संपार्श्विक जमानत सुरक्षा अनिवार्य रूप से नहीं लेने के बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। बैंक इसके बदले में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के ऋण गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत कवर ले सकते हैं। ऋण गारंटी योजना का उपयोग कर बैंक सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र की इकाइयों को दिए जाने वाले ऋणों की गुणवत्ता और ऋण की मात्रा में वृद्धि करने में सहायक हो सकते हैं। बैंक की शाखाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को कॉरपोरेट से प्राप्त भुगतान की स्थिति पर निगरानी रखते हुए भुगतान कराने हेतु प्राथमिकता के आधार पर ही कार्रवाई करें।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र - ध्यान देने की जरूरत

वैश्विक मंदी व कोरोना काल ने सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) पर प्रतिकूल प्रभाव तो निसंदेह डाला है। यदि हम वित्तीय वर्ष 2018-19 पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि 6.8 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर हासिल हुई थी। यदि देश के 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की बात करें तो आर्थिक समीक्षा के आधार पर देश को अगले वर्षों में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करनी ही होगी। इतनी वृद्धि दर प्राप्त करना भारत जैसे विकासशील देश के लिए सामान्य बात तो नहीं है, किन्तु विश्व में उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में नामुमकिन भी नहीं है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अकेले सेवा क्षेत्र के भरोसे नहीं रहा जा सकता है। हमें विनिर्माण क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा। इसके लिए जरूरी यह है कि किस प्रकार से देश के मानव संसाधन का, साथ ही युवा जनसंख्या के कौशल विकास का अधिकाधिक प्रयोग देश के विकास में किया जा सके। इस दिशा में एमएसएमई क्षेत्र के विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों को और अधिक गति से बढ़ाना होगा।

आज हमें पर्यावरण के संरक्षण में सहायक एवं विनिर्माण में सक्षम उद्यमों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है जिससे वे वैश्विक स्तर पर अपना वर्चस्व बना सकें। भारत सरकार ने 25 प्रमुख क्षेत्रों जिनमें भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के साथ आगे ले जाने की क्षमता है, की पहचान की है। इन क्षेत्रों को 'मेक इन इंडिया' के वेब पोर्टल में सूचीबद्ध किया गया है। इनमें भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में बदलने की क्षमता है, लेकिन यदि यह क्षमता हम हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार द्वारा घोषित नीतियों के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए कटिबद्ध होना होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को विकसित करना होगा। इसके लिए उद्योग संघों, बैंकों, वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत प्रशिक्षण संस्थानों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे इन उद्यमियों को अद्यतन जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करें। आवश्यकता

इस बात की भी है कि यह क्षेत्र अपने आर्थिक विकास, योजनाओं के सफल कार्यान्वयन, कौशल-उन्नयन व स्वावलंबन हेतु ऐसी पहचान बनाए जो रोजगार सृजन एवं देश के सामाजिक-आर्थिक विकास का एक प्रभावी साधन बन सके। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के पीछे उद्देश्य निश्चित रूप से समाज व देश के हित में ही होते हैं। किन्तु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि उस योजना से जुड़े सभी सहभागियों का पारस्परिक तालमेल उचित हो, जटिलता न हो व तकनीकी रूप से सभी सशक्त हों।

अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास हमें निरंतर करने होंगे, तभी देश के आर्थिक विकास के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। इन उद्यमों का योगदान जितना बढ़ेगा, आत्मनिर्भर भारत का सपना उतना जल्दी साकार होगा।

स्थायी स्तंभ

रेग्युलेटर की नज़र से

- ब्रिज राज

महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 अक्तूबर, 2020 को सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सूचित किया है कि 19 अक्तूबर, 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. विवि. केंका. आरआरबी. सं. 138/ 31.04.002/ 2020-21 और विवि. केंका. आरआरबी. सं.

139/ 31.04.002/ 2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में दस समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल किया गया है और पुराने 21 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हटा दिया गया है।

भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अक्तूबर, 2020 को सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों (बैंक और गैर-बैंक) को यह सूचित किया है कि उद्योग स्व-शासन, उद्योग जगत में सुचारू संचालन और ईकोसिस्टम के विकास में मदद करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-21 में इसलिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के बारे में वक्तव्य के छठे

द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य : 2019-20 (06 फरवरी, 2020) में यह घोषणा की गई थी कि एक पीएसओ के लिए एक एसआरओ की स्थापना की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मसौदा फ्रेमवर्क रखा था और प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के



आधार पर, इसने एसआरओ के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है। एसआरओ के रूप में मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक समूह/पीएसओ का संघ (बैंक और साथ ही साथ, गैर-बैंक) मुख्य

महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 14 वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों में फ्रेमवर्क में दिए गए निर्देशों का पालन होना चाहिए।

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली की 24x7 उपलब्धता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04 दिसंबर, 2020 को आरटीजीएस में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों को सूचित किया है कि दिनांक 14 दिसंबर, 2020 को 00:30 बजे से आरटीजीएस को वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बंध में सदस्यों को निम्नानुसार सलाह भी दी गई है:

(1) आरटीजीएस ग्राहक के लिए और अंतर-बैंक लेनदेन के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा, सिवाय 'एंड-ऑफ-डे' और 'स्टार्ट-ऑफ-डे'

प्रक्रियाओं के बीच के अंतराल को छोड़कर, जिसका समय आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से विधिवत प्रसारित किया जाएगा।

(2) आरटीजीएस को समय-समय पर यथा संशोधित आरटीजीएस प्रणाली विनियमावली, 2013 द्वारा शासित किया जाता रहेगा। संशोधित विनियमावली भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_viewRTGS.aspx पर उपलब्ध है।

(3) सुचारु संचालन की सुविधा के लिए इंटर-डे लिक्विडिटी (आईडीएल) सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि इंटर-डे लिक्विडिटी (आईडीएल) का लाभ उठाया जाता है तो इसे 'एंड-ऑफ-डे' प्रक्रिया शुरू होने से पहले वापस कर दिया जाएगा।

(4) सदस्यों को सूचित किया गया है कि वे अपने ग्राहकों को चौबीसों घंटे आरटीजीएस प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराएं। सामान्य बैंकिंग घंटों के बाद की गई आरटीजीएस लेनदेन की प्रक्रिया 'स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी)' मोड का उपयोग करते हुए स्वचालित होना अपेक्षित है। सदस्यों को यह भी सूचित किया है कि वे अपने सभी ग्राहकों को आरटीजीएस की विस्तारित उपलब्धता के बारे में जानकारी दें।

बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त बनाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 जनवरी, 2021 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को यह निर्देश दिया है कि बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत और बेहतर बनाने व श्रेष्ठतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से नियत उपायों से युक्त एक व्यापक रूपरेखा तैयार की जाए।

विगत वर्षों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में ग्राहक सेवा और ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए कई पहलों की हैं। ग्राहकों को प्रभावित करने

वाले परिचालनों के विविध पहलुओं को शामिल करते हुए ग्राहक सेवा के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश बैंकों को जारी किए गए थे। बैंकों के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की गई थी। 2019 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राहकों को 24x7 उपलब्ध एक पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रिया-प्रवाह (ऑटोमेटेड प्रोसेस फ्लो) आधारित प्लैटफ़ॉर्म के रूप में शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) भी शुरू की थी।

प्रकटीकरण पहल के रूप में, बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे उनके द्वारा निपटाई जाने वाली शिकायतों की संक्षिप्त सूचना अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित करें; भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाने वाली लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट में भी कुछ प्रकटन किए जा रहे थे। शिकायत निवारण को और मजबूत बनाने के लिए बैंकों को अपने आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के शीर्ष पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकरण के रूप में आंतरिक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य किया गया था।

प्रभावी शिकायत निवारण, बैंकों की व्यावसायिक रणनीति का अभिन्न अंग होना चाहिए। हालांकि, बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों (ओबीओ) में प्राप्त शिकायतों की बढ़ती संख्या से यह स्पष्ट है कि बैंकों द्वारा इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण पर अधिक ध्यान संतोषजनक ग्राहक परिणाम और अधिक ग्राहक विश्वास सुनिश्चित करेगा।

उक्त के मद्देनजर, और बैंकों में ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत करने के लिए, एक व्यापक रूपरेखा को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, ग्राहकों की शिकायतों पर बैंकों द्वारा वर्धित प्रकटीकरण, ओबीओ में उनके खिलाफ समकक्ष समूह (पीयर ग्रुप) की औसत से अधिक में प्राप्त की गई स्वीकार्य

शिकायतों के लिए बैंकों से निवारण की लागत की वसूली और शिकायत निवारण तंत्र की गहन समीक्षा व उन बैंकों के विरुद्ध पर्यवेक्षक कार्रवाई करना जो निवारण तंत्र में समयबद्ध तरीके से सुधार करने में विफल रहते हैं, शामिल हैं।

उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (IFSCs) में विप्रेषण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 फरवरी, 2021 को सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को यह निर्देश दिया कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (आईएफएससी) में वित्तीय बाज़ारों की गहरी पैठ बनाने तथा निवासी व्यक्तियों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के वर्तमान दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि निवासी व्यक्तियों को एलआरएस के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अंतर्गत भारत में स्थापित आईएफएससी में विप्रेषण करने की अनुमति दी जाए।

तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक निवासी व्यक्तियों को एलआरएस के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत में स्थित आईएफएससी में विप्रेषण करने की अनुमति दे सकते हैं :

(क) आईएफएससी में केवल ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए ही विप्रेषण किया जाए, जो भारत में निवासी संस्थाओं / कंपनियों (आईएफएससी से बाहर की) द्वारा जारी प्रतिभूतियों से भिन्न हो।

(ख) निवासी व्यक्ति एलआरएस के तहत ऊपर उल्लिखित अनुमत निवेश हेतु आईएफएससी में ब्याज रहित विदेशी मुद्रा खाता (FCA) भी खोल सकता है। खाते में कोई निधियाँ प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों तक की अवधि के लिए यदि उनका उपयोग नहीं किया जाता है तो उन्हें भारत

में स्थित निवेशक के घरेलू भारतीय रुपया खाते में तुरंत प्रत्यावर्तित किया जाए।

निवासी व्यक्ति आईएफएससी में धारित इन विदेशी मुद्रा खातों के जरिए अन्य निवासियों के साथ कोई घरेलू लेनदेन नहीं कर सकेगा। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, ऐसे विप्रेषणों को अनुमति देते समय, योजना के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं सहित अन्य सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

यह ध्यान दिया जाए कि यदि भारत में निवासी (आईएफएससी से बाहर के) किसी भी व्यक्ति द्वारा आईएफएससी में स्थित किसी व्यक्ति / संस्था के साथ किसी प्रकार का लेन-देन किया जाता है, तो वह विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत क्रमशः भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा जारी/अधिसूचित विनियमों/निर्देशों और नियमों द्वारा शासित होगा।

इसके अलावा, भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा यदि फेमा के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो फेमा के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग संबंधी मौजूदा अनुदेशों/ प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे उल्लंघनों की कंपाउंडिंग की जाएगी।

देश में सभी बैंक शाखाओं में चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) का विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 मार्च, 2021 को सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों/स्थानीय क्षेत्र बैंकों/भुगतान बैंकों/लघु वित्त बैंकों/भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को यह सूचित किया है कि सीटीएस 2010 से उपयोग में है और वर्तमान में यह लगभग 1,50,000 शाखाओं को सम्मिलित करता है। सभी तत्कालीन 1219 गैर-सीटीएस समाशोधन गृह (ईसीसीएस केन्द्र) सीटीएस में परिवर्तित हो गए हैं जो कि सितंबर, 2020 से प्रभावी हैं। तथापि, यह देखा गया है कि बैंकों की कई शाखाएं हैं जो किसी

भी औपचारिक समाशोधन व्यवस्था के बाहर हैं और उनके ग्राहकों को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए चेकों के संग्रहण में लगने वाले लंबे समय के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सीटीएस की उपलब्धता प्रदान करने के लिए और ग्राहक की बैंक शाखा चाहे किसी भी स्थान पर क्यों न हो, सभी ग्राहकों को एक समान अनुभव उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि देश में सभी बैंक शाखाओं में सीटीएस का विस्तार किया जाए। इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए बैंकों

को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सभी शाखाएँ दिनांक 30 सितंबर, 2021 से संबंधित ग्रीड्स के अंतर्गत छवि-आधारित सीटीएस में भाग लें। वे अपना मॉडल चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जैसे कि प्रत्येक शाखा में यथोचित बुनियादी ढांचे की स्थापना अथवा एक हब और स्पोक मॉडल को अपनाना इत्यादि और संबंधित बैंक इसके कार्यान्वयन के लिए संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

घूमता आईना राष्ट्रीय खंड

- डॉ. करुणेश तिवारी

सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

कोरोना से जंग : पीएम स्वनिधि योजना

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 'पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना' प्रारंभ करते हुए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान की गयी है। भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो रेहड़ी-पटरी कारोबार के ज़रिए अपना गुजर बसर करता है। कोरोना ने ऐसे बहुत से लोगों का रोजगार छीनकर उनकी कमर ही तोड़ दी है। इस विपरीत परिस्थिति में भारत सरकार उनकी सहायता के लिए आगे आयी है, ताकि ऐसे लोगों को बिना किसी गारंटी के और किफायती दरों पर 10 हजार रुपये तक की प्रारंभिक ऋण सुविधा आसानी से मिले और वे अपना रोजगार नये सिरे से शुरू कर सकें।



योजना में कई अन्य प्रोत्साहन भी दिए गए हैं, जैसे- समय पर/ समय से पहले अदायगी पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेनदेन करने पर मासिक कैश-बैंक का लाभ, पहला ऋण यदि समय पर चुका दिया जाता है तो वेंडर अधिक ऋण के लिए पात्र हो जाता है। इस योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, एसएचजी

बैंक से संपर्क किया जा सकता है। योजना मार्च 2022 तक लागू रहेगी।

'ग्रामोदय से भारत उदय' की ओर बढ़ते कदम : भारत सरकार की स्वामित्व योजना

'ग्रामोदय से भारत उदय' की संकल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा में एक कदम उठाते हुए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas-SVAMITVA) नामक योजना प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत उन्नत तकनीक के माध्यम से ग्रामीण आबादी भूमि का सर्वेक्षण और उसकी माप की जाएगी। यह सर्वेक्षण 4 वर्षों (2020 से 2024) तक चरणबद्ध रूप से चलेगा। स्वामित्व योजना के तहत राजस्व/संपत्ति रजिस्टर में 'रिकॉर्ड ऑफ टाइटल' को अपडेट करते हुए संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे।

इस प्रकार प्रत्येक ग्रामवासी को उसके मकान का मालिकाना हक प्राप्त हो सकेगा ताकि ग्रामीण लोग इस स्थायी परिसम्पत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण एवं अन्य वित्तीय सुविधाएं ले सकें। योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वित होने पर ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर का योजनाबद्ध विकास किया जा सकेगा। मांग के आकलन की प्रक्रिया भी अधिक सटीक और प्रभावी होगी।

‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’: सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन- पीएम एफएमई

मौजूदा छोटे खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) उद्योगों को फाइनेंस, तकनीक और अन्य तरह की मदद पहुंचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) पीएम एफएमई योजना लेकर आया है। योजना के अंतर्गत लगभग 9 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है जिसमें कुशल और अर्ध-कुशल दोनों तरह के लोग होंगे। इसमें उद्योगों की जानकारी और उनसे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि देश के असंगठित/ अनौपचारिक क्षेत्र में लगभग 25 लाख खाद्य प्रसंस्करण उद्यम हैं। इस क्षेत्र में कुल रोजगार में लगभग 74% हिस्सेदारी इन्हीं की है। इसमें भी एक तिहाई महिलाएं हैं। ऐसे उद्यमों की 66% इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जिनमें से 80% ऐसी हैं जो परिवार आधारित हैं। प्लांट एवं मशीनरी तथा टर्नओवर की दृष्टि से यदि वर्गीकरण किया जाए तो इनमें से अधिकांश माइक्रो विनिर्माण उद्यम हैं। इन उद्यमों से जुड़ी अनेकानेक समस्याओं को दूर करने और उन्हें औपचारिक क्षेत्र में लाते हुए प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़े होने लायक बनाना ही पीएम एफएमई योजना का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत निर्धारित कार्य हैं- कौशल विकास, आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं मशीनरी की उपलब्धता और उनके प्रयोग की दक्षता लाना, बेहतर पैकेजिंग, स्वच्छता और उन्नत विनिर्माण प्रथाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ब्रांडिंग व विपणन दक्षता का विकास, औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच द्वारा पूंजी की कमी की समस्या दूर करना।

इस योजना पर जो खर्च किया जाएगा उसमें केंद्र सरकार की 60 फीसदी और राज्य सरकार की 40 फीसदी हिस्सेदारी होगी। योजना के अंतर्गत राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे कच्चे माल की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए हर जिले के लिए एक खाद्य उत्पाद - वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट - की पहचान करें। ऐसे उत्पाद के उत्पादन से जुड़े

उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर मदद दी जाएगी। उत्पादों की सूची में आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, कीनू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, बाजरा आधारित उत्पाद एवं मछली पालन, मुर्गी पालन, मांस के साथ-साथ पशु-चारा भी शामिल है।

एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स

ट्रांसयूनियन सिबिल (CIBIL) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के साथ मिलकर तिमाही एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स के पहले संस्करण का शुभारंभ किया है। इसमें दो तरह के सूचकांक होंगे- संवृद्धि सूचकांक और सुदृढ़ता सूचकांक। ये सूचकांक भारत के एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों) की संवृद्धि और सुदृढ़ता का विश्वसनीय मापदण्ड साबित होंगे। इससे सरकार, नीति निर्माताओं, उधारदाताओं और अन्य हितधारकों को एमएसएमई के स्वास्थ्य से जुड़े विविध पहलुओं पर पर्याप्त जानकारी मिल सकेगी जिससे एमएसएमई को आवश्यक ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बेहतर नीतियाँ बनाना संभव हो सकेगा। इस पहले संस्करण के लिए 2018 से 2020 तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं।

अब प्रवासी मजदूरों के अच्छे दिन आएंगे : असंगठित क्षेत्र का देश का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार

कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा से सबक लेते हुए सरकार ने उनकी और असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों की समस्याओं के स्थायी समाधान तलाशने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 10 नवंबर, 2020 को देश में असंगठित क्षेत्र के पहले राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्लू) बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस पर लगभग आठ 650 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजना है कि एनडीयूडब्लू को आधार से लिंक किया जाए। इसके तहत लगभग 40 करोड़ श्रमिकों को शामिल किया जाएगा। इस डेटाबेस से

निम्नलिखित लाभ होंगे- यह नियोक्ता और संभाव्य कर्मचारी के लिए एक प्लैटफॉर्म प्रदान करेगा; जन कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करने में सरकार के लिए मददगार साबित होगा; कोविड जैसी असाधारण विपरीत परिस्थितियों में श्रमिकों के विस्थापन पर नज़र रखी जा सकेगी और उन्हें आवश्यक सहायता देना आसान होगा।

लक्ष्मी विलास बैंक का समामेलन डीबीआईएल के साथ

25 नवंबर, 2020 को केंद्र सरकार ने पूंजी की कमी से जूझते लक्ष्मी विलास बैंक एलवीबी) का समामेलन डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (डीबीआईएल) के साथ करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है। 20 लाख जमाकर्ताओं तथा 4,000 बैंककर्मियों के हितों की रक्षा करने और वित्तीय और बैंकिंग स्थिरता बनाए रखने के मद्देनज़र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के तहत किए गए आवेदन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। डीबीआईएल डीबीएस बैंक लिमिटेड, सिंगापुर की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है।

उल्लेखनीय है कि डीबीएस बैंक लिमिटेड एशिया अग्रणी वित्तीय सेवा समूह डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड की अनुषंगी है। डीबीआईएल की स्थापना भारत में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत की गयी थी और इसे वर्ष 2018 में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत 04 अक्टूबर 2018 को बैंकिंग कंपनी के रूप में कारोबार करने की अनुमति मिली थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है।

आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई)

आरबीआई द्वारा इस सूचकांक को वर्ष 2021 के प्रथम दिन जारी किया गया। उद्देश्य था- देश में डिजिटल या नकदी रहित भुगतान में हुई वृद्धि का सटीक आकलन करना। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा

6 फरवरी 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर एक वक्तव्य जारी किया गया था। इस वक्तव्य में निहित संकल्पों को पूरा करने की दिशा में उठाए गए एक कदम के रूप में इसे देखा जा रहा है। इस सूचकांक का आधार वर्ष 2018 है। मार्च 2018 के लिए डीपीआई स्कोर 100 निर्धारित किया गया है। 1 वर्ष बाद अर्थात् मार्च 2019 में यह 153.47 पर पहुंच गया तथा मार्च 2020 आते-आते यह 207.84 के स्तर पर था।

यह मोटे तौर पर भिन्न-भिन्न भारिता वाले पांच मानदंडों पर आधारित है- 1) भुगतान समर्थक या पेमेंट इनेबलर्स (25%); 2) भुगतान अवसंरचना - मांग पक्ष के कारक (10%); 3) भुगतान अवसंरचना-आपूर्ति पक्ष के कारक (15%); 4) भुगतान निष्पादन (45%) और 5) ग्राहक उन्मुखता (5%)। मार्च 2021 से आरबीआई वेबसाइट पर इस डीपी को अर्धवार्षिक रूप से प्रकाशित करने की योजना है।

बड़े आरटीजीएस/एनईएफटी लेनदेन के लिए लेई (LEI) होगा जरूरी

5 जनवरी, 2021 को आरबीआई द्वारा घोषणा की गयी कि कोई भी संस्था यदि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से 50 करोड़ रुपए से अधिक राशि का लेनदेन करती है, तो उसे अपनी विधिक संस्था पहचान संख्या (LEI) दर्ज करनी होगी। इसका लक्ष्य है वित्तीय डेटा प्रणालियों की गुणवत्ता में वृद्धि करके जोखिम को कम करना। उल्लेखनीय है कि लेई 20 अंकों वाली वैश्विक संदर्भ संख्या है।

स्विट्ज़रलैंड के बासेल शहर में स्थित GELIF अर्थात् वैश्विक विधिक संस्था पहचानकर्ता प्रतिष्ठान इस संबंध में छत्र संगठन के रूप में कार्य करता है जिसने इस उद्देश्य से स्थानीय परिचालन इकाइयों (LOUs) को अधिकृत किया हुआ है। भारत में लेई संख्या लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर इंडिया लि. (LEIL) से प्राप्त की जा सकती है। इसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत

आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह GELIF द्वारा अधिकृत LOU है। LEIL क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (CCIL) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है।

‘खुदरा भुगतान’ पर रिज़र्व बैंक रेगुलेटरी सैण्डबॉक्स का शुभारंभ

रिज़र्व बैंक ने 04 नवंबर, 2020 को ‘खुदरा भुगतान’ पर आधारित अपनी विनियामकीय प्रयोगशाला (रेगुलेटरी सैण्डबॉक्स) के पहले दौर का परीक्षण प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके लिए रिज़र्व बैंक को 32 संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से इस परीक्षण चरण के लिए 6 को चुना गया है। इस प्रकार दो संस्थाओं – जयपुर, राजस्थान की कंपनी नैचुरल सपोर्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज़ प्रा. लि. और नई दिल्ली की कंपनी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लि. ने अपने उत्पाद क्रमशः ‘ई-रुपया’ (eRupaya) एवं पैसे (PaySe) का पहला प्रायोगिक चरण 16 नवंबर, 2020 को प्रारंभ कर दिया। शेष चार सैण्डबॉक्स इकाइयाँ भी 21 दिसंबर, 2020 तक प्रायोगिक चरण में प्रवेश कर गयी थीं।

उल्लेखनीय है कि इस विनियामकीय प्रयोगशाला यानी सैण्डबॉक्स का उद्देश्य है वित्तीय सेवाओं से जुड़े ऐसे नवाचार को बढ़ावा देना जिनमें पूरी जिम्मेदारी और दक्षतापूर्वक कार्य करें एवं ग्राहकों के लिए हितकारी हों। साथ ही, यह विनियामकों, नवाचार के प्रवर्तकों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों को अवसर देता है कि वे वित्तीय क्षेत्र के नये नवाचारों के लाभों तथा उनमें निहित जोखिमों का आकलन कर सकें।

ऑनलाइन पोर्टलों और ऐप्स के जरिए लेनदेन की निगरानी पर विशेष कार्यदल गठित

13 जनवरी, 2021 को आरबीआई ने ऑनलाइन पोर्टलों और ऐप्स के जरिए होने वाले डिजिटल लेनदेन के सभी पक्षों का अध्ययन करने के लिए छह सदस्यीय कार्यदल का गठन किया ताकि इस संबंध में समुचित विनियामकीय दृष्टिकोण विकसित

किया जा सके। यह कार्यदल वित्तीय क्षेत्र की विनियमित और अविनियमित दोनों प्रकार की इकाइयों की डिजिटल लेंडिंग गतिविधियों (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप्स पर आधारित) का अध्ययन करेगा। आरबीआई के कार्यपालक निदेशक श्री जयंत कुमार दाश की अध्यक्षता वाला यह कार्यदल तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

इस कार्यदल में अध्यक्ष सहित आरबीआई के 4 सदस्य हैं जबकि 2 सदस्य बाहरी हैं। एजेंडा में शामिल प्रमुख बातें इस प्रकार हैं: अविनियमित डिजिटल लेंडिंग से उत्पन्न जोखिमों की पहचान करना; डिजिटल लेंडिंग के सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करने हेतु जरूरी परिवर्तनों की सिफारिश करना; डिजिटल लेंडिंग से जुड़े सहभागियों के लिए उचित आचार संहिता की सिफारिश करना; ऐसे उपाय सुझाना जिनसे ग्राहकों को अधिक सुरक्षा और संरक्षण दिया जा सके; तथा डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और उसके बेहतर अभिशासन के उपाय सुझाना।

भारत नवाचार सूचकांक (इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0)-2021

भारतीय राज्यों द्वारा नवाचार को प्रोत्साहन देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के मूल्यांकन के आधार पर नीति (NITI) आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान के हकदार बने।

भारत को एक नवाचार केंद्रित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने के प्रयासों के तहत भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा संस्थान (Institute of Competitiveness) के साथ मिलकर इस सूचकांक को वर्ष 2020 से जारी करना प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2021 के लिए इस सूचकांक के दूसरे संस्करण को आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जारी किया। इसके तहत राज्यों की नवाचार क्षमताओं को 5 समर्थक मानकों

के तहत परखा जाता है, उनमें प्रमुख हैं: मानव पूंजी, निवेश, बुद्धिजीवियों की संख्या, कारोबारी माहौल, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था। इनके अतिरिक्त दो कार्यनिष्पादन मानक भी हैं- ज्ञान आधारित उत्पादन और ज्ञान प्रसार। इस सूचकांक को तैयार करते समय भारत के राज्यों और यूटी का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है- 17 प्रमुख राज्य, 9 शहरी राज्य एवं संघशासित क्षेत्र तथा 10 उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्य।

अब न्यायालय भी हुए वर्चुअल

31 अक्तूबर, 2020 को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित ज्यूडीशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे ने भारत के सर्वप्रथम ई-रिसोर्स सेंटर

‘न्याय कौशल’ का उद्घाटन किया। इससे अब सर्वोच्च न्यायालय और पूरे देश में स्थित उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुकदमे दायर करना संभव हो सकेगा। इससे जल्दी समाधान का मार्ग खुलेगा; समय, यातायात और अन्य खर्च में बचत होगी।

इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश महोदय ने महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट एण्ड ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन भी किया। यह वर्चुअल कोर्ट पूरे महाराष्ट्र राज्य के ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा। इस पर जाकर चालान का भुगतान करते हुए मामले का निपटान भी संभव होगा। यह कोर्ट नागपुर जिले के काटोल से कार्य करेगा। इन न्यायालयों में न्यायाधीश ऑनलाइन उपस्थित रहेंगे और मामलों की सुनवाई करेंगे।

घूमता आईना अंतरराष्ट्रीय खंड

- डॉ. गौतम प्रकाश

उप महाप्रबंधक
प्रवर्तन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

वेनज़ुएला के केंद्रीय बैंक ने 2 लाख, 5 लाख एवं 10 लाख मूल्यवर्ग के नोट जारी किए

गत कई वर्षों से वेनज़ुएला निरंतर बढ़ते दामों से त्रस्त रहा है। साल 2014 के बाद से तो मुद्रास्फीति बेलगाम हो चुकी मानी जा रही है (हाइपर-इन्फ्लेशन)। अप्रैल 2019 में प्रकाशित I.M.F. की रिपोर्ट ने यह अनुमान लगाया था कि साल 2019 के अंत तक वेनज़ुएला में मुद्रास्फीति की दर 1-करोड़ प्रतिशत (1,00,00,000%) पहुँच जाएगी। देश की सरकार ने साल 2018 से ही आंकड़े प्रकाशित करने स्थगित कर दिये थे, जिससे ठोस अनुमान लगाना I.M.F. या किसी अन्य संस्था के लिए मुश्किल हो गया है। इस परिस्थिति से जूझते केंद्रीय बैंक (बाकों केन्त्राल दि वेनज़ुएला, BCV) ने पिछले सप्ताह यह ऐलान किया कि वह बड़ी फ़ेस-वैल्यू वाली नोटों को जारी करेगा। यह नोट 2-लाख, 5-लाख तथा 10-लाख मूल्यवर्ग के होंगे।

वेनज़ुएला की मुद्रा को वेनेज़ुएलन बोलिवार कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा स्फीति की वजह से लोग इसका प्रयोग कम ही करना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि कीमतें हमेशा बढ़ती रहती हैं और लोगों के लिए यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि वे अपनी जरूरतों के लिए कितनी मुद्रा साथ लेकर चलें। साथ ही, थोड़ी सी सामग्री खरीदने के लिए उन्हें बहुत सारी मुद्रा साथ रखनी पड़ती है क्योंकि



उनका केंद्रीय बैंक केवल 500 मात्र की फ़ेस-वैल्यू वाली मुद्रा जारी करता रहा है। लोग क्रय-विक्रय में विदेशी मुद्रा, विशेषकर अमरीकी डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उन्हें विदेशों में काम कर रहे अपने परिजनों से प्राप्त हो जाते हैं। यदि डॉलर पास में न हों, तो वे डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। परंतु डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने में भी बाधा होती रहती है क्योंकि बिजली की सप्लाय लोगों के साथ ऑन-मिचौली खेलती रहती है। सरकार इन बातों से अनभिज्ञ नहीं है और वह डॉलर के उपयोग पर रोक-टोक नहीं लगाती है। लेकिन हर व्यक्ति के पास हर समय डॉलर उपलब्ध भी नहीं होते, जिससे बोलिवार मुद्रा को पूरी तरह से त्यागा भी नहीं जा सकता है।

इन सब कारणों से ही इतनी बड़ी फ़ेस-वैल्यू की मुद्रा को छपा जा रहा है। इसके पहले, अक्तूबर माह के दौरान, 1-लाख की फ़ेस-वैल्यू वाली मुद्रा को जारी करने की बात पर विचार किया जा रहा था, परंतु दाम इतनी तीव्र गति से बढ़े कि उनको छापने का कोई मतलब ही नहीं रहा। मुद्रा को डिजिटल बनाने की बात पर भी विचार-विमर्श जारी है।

सिंगापुर का केंद्रीय बैंक हरित वित्त की ओर अग्रसर

सिंगापुर के केंद्रीय बैंक, मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (M.A.S.) के प्रबंध निदेशक श्री रवि मेनन ने एक भाषण में यह कहा है कि भविष्य में वित्तीय

जगत हरित होगा, अर्थात् वह पर्यावरण के संरक्षण संबंधी कार्यों में सहायता करने के लिए तत्पर रहेगा। उन्होंने इसके तीन मुख्य कारण बताए हैं: पहला, पर्यावरण को वैश्विक स्तर पर प्राथमिकता देने पर बढ़ती सहमति; दूसरा, सतत (sustainable) निवेश करने की प्रणाली में उन्नति; और तीसरा, निवेशकों के अधिमान में परिवर्तना उनका कहना है की यदि मानव जाति यह चाहती है कि कार्बन उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक वर्ष 2010 के कार्बन उत्सर्जन के आधे स्तर पर लाया जाए, तो उसे जीवन-शैली में खासा रद्दोबदल के लिए कसर कसना ही पड़ेगा। मानव उद्यम का लगभग हर क्षेत्र इससे प्रभावित होगा, जैसे कि इस्पात उद्योग, सीमेंट एवं निर्माण उद्योग, समुद्री उद्योग, कृषि, इत्यादि। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी उन्नति होगी जिससे इसकी कीमतें कम की जा सकेंगी, लेकिन साथ-साथ ऐसे क्षेत्र जो कि अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उनपर करों का बोझ बढ़ता जाएगा। इससे सम्पत्तियों या आस्तियों के मूल्यांकन में तब्दीलियाँ होंगी, जिन्हें निवेशक अनदेखा नहीं कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने लायक है कि अगली पीढ़ी, जो जल्द ही कमान सम्हालने की स्थिति में होगी, वह पर्यावरण के प्रति काफी जागरूक है। इस पीढ़ी के लोग जब निवेश करेंगे, तो वह अवश्य ही हरित निवेशक बनना चाहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी संस्था इस दिशा में अग्रसर है और इसके लिए तीन तरह के प्रयास कर रही है – प्रथम, हरित वित्त के लिए अवसरों में वृद्धि हेतु; द्वितीय, निवेशकों के द्वारा की जानेवाली रिपोर्टिंग को पुख्ता करने हेतु; और तृतीय, हरित वित्त के क्षेत्र में ज्ञान और निपुणता की वृद्धि हेतु। M.A.S. पूरी कोशिश कर रही है कि सिंगापुर की कंपनियाँ हरित बोण्ड्स जारी करें और पर्यावरण सततता के क्षेत्र में ऋण दें। साथ ही, बीमा कंपनियों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे आपदा संबंधी बीमा योजनाएँ तैयार करें, उन्हें मुहैया कराएं। स्वयं M.A.S. ने अपने 200 करोड़ डॉलर का निवेश करने का निश्चय किया है। इसके लिए एक विशेष

आस्ति-प्रबंधन संस्था का चयन किया गया है। M.A.S. चाहेगी कि अन्य वित्त संबंधी सेवाओं के साथ-साथ, उनका देश हरित वित्त के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर सके।

पाकिस्तान में भी मुद्रास्फीति लक्ष्य-निर्धारण नीति की संभावना प्रबल हुई

पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार ने 'स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (S.B.P.) संशोधन बिल, 2021' को पारित करने का निर्णय लिया है, जिससे उस संस्था को स्वायत्तता मिल सकेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वहाँ का केंद्रीय बैंक है। ऐसा करना सरकार के लिए अनिवार्य हो गया है क्योंकि I.M.F. ने यह शर्त अपने 600 करोड़ अमरीकी डॉलर कार्यक्रम को पुनः शुरू करने के लिए रखी है। बिल के द्वारा कानून की प्रस्तावना में मूलभूत बदलाव लाया जाएगा। बदलाव के बाद केंद्रीय बैंक का मुख्य ध्येय कीमतों को स्थिर रखना हो जाएगा। साथ ही, विकास में मददगार बनना तथा देश के उत्पादक संसाधनों को भलीभाँति प्रयोग में लाना, उसके लिए गौण ध्येय बन जाएंगे। इस समय (संशोधन से पहले) इन सभी ध्येयों को समान प्राथमिकता प्राप्त है। बिल पारित होने के पश्चात S.B.P. मुद्रा नीति एवं एक्सचेंज रेट पॉलिसी के मामले में स्वायत्त हो जाएगा।

संशोधन में यह भी प्रावधान है कि S.B.P. से संबंधित कोई भी कानून बनाने के पहले, सरकार S.B.P. से विचार-विमर्श करेगी। S.B.P. के बोर्ड में केंद्रीय सरकार के वित्त सचिव सदस्य नहीं रहेंगे और बैंक के गवर्नर बोर्ड के चेयरमैन बने रहेंगे। बैंक के गवर्नर, उप-गवर्नर तथा उसके आला अफसर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (N.A.B.) और फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी (F.I.A.) के दायरे से परे रहेंगे। बैंक की आधिकृत पूंजी (Authorised Capital) को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा और भरपाईकृत पूंजी (Paid-up Capital) को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। इसके लिए या तो सरकार नगद की व्यवस्था करेगी या बैंक के लाभ तथा साधारण

निधि (General Reserve) को पूंजी में परिवर्तित किया जाएगा। S.B.P. को हर प्रकार की चल एवं अचल संपत्ति प्राप्त करने की स्वायत्तता होगी। S.B.P. सरकार या सरकारी संस्थानों को सीधे तौर पर ऋण नहीं देने पर बाध्य होगा। सरकार इस बात के लिए बाध्य है कि उसने S.B.P. से जो ऋण लिए हैं, उन्हें मियाद के अनुसार ब्याज समेत वापस करेगी और किसी भी ऋण की मियाद को बढ़ाया नहीं जाएगा।

गौरतलब है कि यद्यपि बिल में मुद्रास्फीति लक्ष्य-निर्धारण को तो प्राथमिकता दी गयी है तथापि उसमें मुद्रास्फीति लक्ष्य की दर को नहीं इंगित किया गया है। बिल में यह भी खुलासा नहीं किया गया है कि यदि बैंक मुद्रास्फीति दर को काबू रखने में असफल रहा, तो इसके क्या परिणाम होंगे। इन प्रावधानों की गैर-मौजूदगी पाकिस्तान के मुद्रास्फीति लक्ष्य-निर्धारण को अन्य देशों के मुद्रास्फीति लक्ष्य-निर्धारण से भिन्न बनाती है।

फिनटेक (Fintech) के उपयोग में महिलाओं का रुझान पुरुषों से कम

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (B.I.S.) से संबंधित शोधकर्ताओं के एक दल ने एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें फिनटेक विषय पर किए गए एक सर्वेक्षण के नतीजों के बारे में विवरण दिया गया है। सर्वेक्षण में शोधकर्ताओं ने 27,000 लोगों से आंकड़े इकट्ठे किए, और वे 28 अलग-अलग देशों के रहनेवाले थे। सर्वेक्षण में फिनटेक की उपलब्धता एवं प्रयोग से संबंधित सवाल पूछे गए थे। शोधकर्ताओं ने यह पाया कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं फिनटेक का प्रयोग कम ही करती हैं।

पुरुषों में फिनटेक का प्रयोग 29% है जबकि महिलाओं में इसका प्रयोग मात्र 21% है – और यह फर्क सर्वेक्षण किए गए हर देश में विद्यमान है। सर्वेक्षण ने यह पाया कि महिलाएं जब विभिन्न कंपनियों से इंटरनेट के द्वारा संपर्क साधती हैं, तब वे पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक चिंतित रहती हैं सुरक्षा के विषय को लेकर। शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि इन सभी का कारण किसी प्रकार का

भेद-भाव है या सामाजिक प्रथाएँ हैं जो महिलाओं का शोषण करती हैं तो सरकार, केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक संस्थाओं को इससे जूझने के लिए नीति बनानी पड़ेगी। परंतु यदि कारण सुरक्षा से संबन्धित चिंताएँ हैं, तो अलग प्रकार की नीतियों की आवश्यकता होगी।

श्रीलंका में वित्तीय समावेशन पर जोर

श्रीलंका के केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (C.B.L.) ने एक नई राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति को अपनाया है, जिसके तहत इस क्षेत्र में किए जा रहे अलग-अलग प्रयासों को एकीकृत तरीके से बढ़ाया जाएगा। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित फिंडेक्स (Findex) डेटाबेस के अनुसार श्रीलंका वित्तीय समावेशन में अच्छा प्रदर्शन करता रहा है। उदाहरण के लिए यह देखें कि वर्ष 2017 में जहां वैश्विक स्तर पर औसतन 69% लोगों के पास बैंक खाते थे, वहीं श्रीलंका में औसतन 74% लोगों के पास यह सुविधा थी। बैंक खाताधारक होने की दर पुरुषों और महिलाओं के लिए लगभग बराबर थी, जो गौरतलब है।

परंतु यह सम्पूर्ण छवि नहीं है। सर्वेक्षणों से यह भी पता चला है कि बीमा का प्रचलन श्रीलंका में काफी कम रहा है। छोटे कारोबारियों को संस्थानिक ऋण लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोग नगद का उपयोग करना पसंद करते हैं, न कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का। यह भी पता चला है कि महिलाएं, वित्तीय सेवाओं के लिए संस्थाओं से ज्यादा अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर करती हैं और डिजिटल वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल कम ही करती हैं।

नई रणनीति के चार स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ है- डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में बेहतर प्रणालियों को बहाल करना, सरकार की विभिन्न योजनाओं को डिजिटल माध्यम में लाना और KYC की प्रणाली को पुख्ता करना। दूसरा स्तम्भ है- लघु और छोटे उद्यमियों को ऋण सहायता मुहैया कराना, ज्यादा वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना और हरित वित्त पर जोर देना। तीसरा स्तम्भ है- उपभोगताओं की

बेहतर सुरक्षा हेतु विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ करना, पारदर्शिता को बढ़ाना और विवाद समाधान प्रणाली को मजबूती प्रदान करना। चौथा और अंतिम स्तम्भ है— जनता में वित्तीय साक्षरता की वृद्धि और छोटे उद्यमियों को इस बात के लिए मदद करना कि वे संस्थानिक ऋण किस तरीके से पा सकते हैं— उन्हें इसके लिए क्या तब्दीलियाँ लानी अच्छी रहेंगी। रणनीति का संचालन भालिभांति हो सके, इसके लिए एक सचिवालय बनाया जाएगा। बैंक के गवर्नर एवं केंद्रीय सरकार के वित्त सचिव मिलकर इस दिशा में नेतृत्व प्रदान करेंगे। यह रणनीति 2021 से 2024 तक चलाई जाएगी।

ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने बॉन्ड खरीद में मुस्तैदी बढ़ाई

फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में विश्व के कई देशों के बॉन्ड बाजार में खूब बिक्री हुई थी जिससे बॉन्ड-कीमतें गिरीं और बॉन्ड ब्याज दर चढ़े (ध्यान रहे की बॉन्ड-कीमतें और बॉन्ड ब्याज दर हमेशा विपरीत दिशाओं में चलते हैं)। इससे एक समस्या आन खड़ी हुई – ऋण बाजार में भी ब्याज दर बढ़ने का दबाव बहुत बढ़ गया। इससे मंदी के और अधिक गहरा जाने का डर स्वाभाविक तौर पर और भी बढ़ने लगा। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने मार्च माह की शुरुआत से ही मंदी को पराजित करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया। रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (R.B.A.) ने बॉन्ड बाजार में अपेक्षा से कहीं अधिक बॉन्ड की खरीददारी की योजना प्रारम्भ कर दी। फलस्वरूप 10-वर्ष मियाद वाली सरकारी बॉन्ड पर ब्याज की दर 1.93% से घट कर 1.67% तक आ गई। R.B.A. ने न सिर्फ लंबी मियाद वाली बॉण्ड में खरीद की बल्कि छोटी मियाद वाली बॉण्ड में भी खरीद की, जिससे ब्याज दर में नरमी आई।

महामारी के कारण जो मंदी आयी है, उससे उबरने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को बढ़ावा देना अति आवश्यक माना जा रहा है। इसे हासिल करने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह माना जा रहा है कि ब्याज की दरें कम रहें। R.B.A. एक मुद्रास्फीति लक्ष्य-निर्धारण करने वाला बैंक है और उसका एक

लक्ष्य तीन-साल की मियाद वाले बॉण्ड की ब्याज दर को नियंत्रण में रखना भी है। अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए भी R.B.A. ने इतनी मुस्तैदी के साथ काम किया है, ऐसा अनुमान है।

लंदन अंतर-बैंकीय ऑफर दर (LIBOR) का सूर्यास्त अब अधिक दूर नहीं

ब्रिटेन में ब्रिटिश बैंकर्स एसोशिएसन द्वारा प्रकाशित की जानेवाली लंदन अंतर-बैंकीय ऑफर दर (LIBOR) समूचे विश्व में वित्त के क्षेत्र में हाल तक एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। LIBOR यह दर्शाती थी कि एक दूसरे को अलग-अलग मियादों के लिए ऋण देने के लिए विश्व के प्रमुख बैंक कितनी ब्याज दर की मांग करेंगे। चूंकि यह ऋण प्रमुख बैंकों के लिए होता है, यह ब्याज दर अन्य सभी बैंकों के लिए एक आधार की तरह मानी जाती रही है। प्रत्येक ऋण अभिलाषी के जोखिम को ध्यान में रखते हुए बैंक LIBOR दर के ऊपर कुछ और जोड़ कर ब्याज की मांग किया करते थे। बैंकों की सुविधा के लिए LIBOR दर विश्व की सभी प्रमुख मुद्राओं के लिए अलग-अलग प्रकाशित किए जाते रहे हैं। लेकिन वर्ष 2017 में यह बात सामने आई कि LIBOR के निर्माण में ज़बरदस्त धांधली छद्म रूप से की जा रही थी। ऐसा खुलासा होने पर यह निर्णय लिया गया कि बैंक LIBOR पर अपनी निर्भरता धीरे-धीरे कम करेंगे।

बैंक ऑफ इंग्लैंड (B.O.E.) ने अब यह बताया है कि वर्ष 2021 के अंत तक ज़्यादातर LIBOR दरों का प्रकाशन बंद कर दिया जाएगा। ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्विस् फ्रैंक और जापानी येन मुद्राओं की सभी मीआदों की LIBOR दरें प्रकाशित नहीं की जाएंगी। अमरीकी डॉलर की दो दरों का प्रकाशन भी बंद हो जाएगा – एक-सप्ताह मियाद और दो-महीने मियाद वाली दरें भी बंद हो जाएंगी। अन्य अमरीकी डॉलर की दरों वाले LIBOR जून 2023 के अंत तक प्रकाशित होते रहेंगे। B.O.E. ने बैंकों और वित्त से संबंधित सभी व्यवसायियों से अपील की है कि वे LIBOR के सूर्यास्त के लिए तैयार रहें और अन्य आधार के प्रयोग से अपने-आप को अभ्यस्त कर लें।

अमरीका के केंद्रीय बैंक में भविष्य की रूपरेखा को लेकर अलग-अलग मत

हाल के दिनों में अमरीका के केंद्रीय बैंक के प्रमुख अधिकारियों ने भाषण दिये। भविष्य के बारे में उनकी राय भिन्न-भिन्न है। बैंक के बोर्ड के उपाध्यक्ष रिचर्ड क्लारीडा ने 24 फरवरी, 2021 को एक भाषण में यह संकेत दिया कि पहले जैसे उत्पाद और रोजगार-स्तर पर लौटने में अमरीकी अर्थव्यवस्था को अभी और भी समय लगेगा। बोर्ड के एक अन्य सदस्य लेल ब्रेनार्ड ने भी कहा कि फेडरल रिज़र्व का लक्ष्य, 2% मुद्रास्फीति और मजबूत रोजगार दर इतनी जल्दी हासिल नहीं की जा सकेगी। इसके लिए सब्र रखने की आवश्यकता होगी। सेंट लूई फेड के मुखिया जेम्स बुलार्ड ने कहा कि जोखिम अभी भी टला नहीं है, वहीं डेल्लास फेड के मुखिया रोबर्ट कैपलन ने कहा कि भविष्य में अपेक्षा से भी अधिक आर्थिक तेज़ी की संभावना है।

वैसे भविष्य की मुद्रास्फीति को लेकर मत इतने अलग नहीं हैं। ब्रेनार्ड के अनुसार महंगाई दर के स्थायी रूप से परिवर्तित होने के आसार कम ही हैं, हाँ यह संभव है कि मध्य में दाम तेज़ी से बढ़ें और थोड़े समय के बाद वापस नीचे आ जाएँ। इसी तरह क्लारीडा ने यह कहा कि महंगाई की दर 2% के लक्ष्य तक आ सके, यह होते-होते शायद वर्ष 2023 का अंत आ जाएगा। सैन फ्रांसिस्को फेड की मुखिया मेरी डेली ने कहा कि मुद्रास्फीति ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि कार्मिकों की संगठित शक्ति में कमी आयी है (जिससे वेतन बढ़ाने में उन्हें सफलता नहीं मिल सकेगी) और सामग्रियों के बाज़ार में जबरदस्त स्पर्धा है (जिससे कोई भी विक्रेता दाम बढ़ाकर ग्राहक दूर नहीं करना चाहेगा)।

बेरोजगारी के गंभीर मसले पर ब्रेनार्ड ने कहा कि समूची अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी दर यह नहीं दर्शाती कि समाज के निचले तबके की क्या स्थिति है क्योंकि वह एक औसत दर है। आज यदि समूची अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर 10% है तो कम आमदनी वाले तबके में बेरोजगारी 23% है।

केनसास सिटी फेड के मुखिया जॉर्ज ने भी यह कहा कि वहाँ की बेरोजगारी दर (6.3%) असल बेरोजगारी नहीं दर्शा पा रही है। मेरी डेली ने यह विचार व्यक्त किया कि केंद्रीय बैंक की नीति मुद्रास्फीति नियंत्रण को अधिक महत्व देती रही है परंतु इसका यह भी प्रभाव होता है कि रोजगार इतने नहीं बढ़ पाते जितना वह बढ़ने की स्थिति में है। इसका परिणाम शायद समाज के निचले तबके और अल्पसंख्यकों पर पड़ता होगा।

बैंक ऑफ कनाडा के द्वारा विविधता बढ़ाने की मुहिम

फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी सर्वप्रथम विविधता एवं समावेशन की नीति आरंभ की। इसके पीछे मुख्य कारण यह बताया जा रहा है की गत छह वर्षों में महिला कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है। अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लोगों को बहाल करना भी एक ध्येय है। पिछले साल दिसंबर माह में बैंक की एकमात्र वरिष्ठ नीति-निर्धारक स्तर की महिला ने बैंक छोड़ दिया। वे थीं करोलीन विलकिस जो 'वरिष्ठ उप गवर्नर' के पद पर आसीन थीं। उनके प्रस्थान के पश्चात बैंक का बोर्ड पूरी तरह से श्वेत पुरुषों से ही भरा है।

गवर्नर टिफ़फ़ मैक्लेम ने विविधता और समावेशन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि यदि विविध परिप्रेक्ष्यों से आए लोग साथ मिल कर निर्णय लेंगे तो नीतियाँ बेहतर बन सकेंगी। बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालयों से नई बहाली में 43% महिलाएं हैं, और ऊंचे पदों पर 45% महिलाएं आसीन हैं। समूचे बैंक में 46.2% कर्मचारी महिलाएं हैं। बैंक ने निर्णय लिया है कि वह शोध के द्वारा यह पता लगाएगा कि अर्थशास्त्र एवं वित्त क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के अनुभव कैसे रहे हैं। बैंक अल्पसंख्यक मूल से आनेवाले लोगों को भी बहाल करने की दिशा में सचेष्ट है। जहां 2015 में 21.3% कर्मचारी अश्वेत मूल के थे, वहाँ अब ऐसे व्यक्ति 23.1% हैं।



**भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग**

भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता, 2019-20 – परिणाम

बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ-सदस्य (राजभाषा अधिकारियों और अनुवादकों को छोड़कर) भाग लेते हैं। वर्ष 2019-20 में आयोजित इस प्रतियोगिता के परिणाम निम्नानुसार हैं:

भाषिक क्षेत्र 'क' (मातृभाषा हिंदी, मैथिली, उर्दू)		
स्थान	प्रतिभागी का नाम व पदनाम	पता
प्रथम	रामेश्वर प्रसाद महावर, ऋण प्रबंधक	बैंक ऑफ़ इंडिया, जयपुर
द्वितीय	मुहम्मद शाहिद, सहायक महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर
तृतीय	सिमरनजीत कौर, अधिकारी	पंजाब नैशनल बैंक, अमृतसर
प्रोत्साहन 1	पीयूष कुमार, उप-महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई
प्रोत्साहन 2	राजू यादव, क्लर्क	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, बरेली
भाषिक क्षेत्र 'ख' (मातृभाषा मराठी, पंजाबी, सिंधी, कोंकणी, गुजराती)		
स्थान	प्रतिभागी का नाम व पदनाम	पता
प्रथम	विनोद चन्द्रशेखर दीक्षित, वरिष्ठ प्रबंधक	बैंक ऑफ़ इंडिया, अहमदाबाद
द्वितीय	हरगोविंद सी. मकवाना, अधिकारी	पंजाब नैशनल बैंक, अहमदाबाद
तृतीय	हरमीत सिंह जस्सल, उप प्रबंधक	पंजाब नैशनल बैंक, लुधियाना
प्रोत्साहन 1	दर्शना मिलिंद सिंगासने, विशेष सहायक	भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई
प्रोत्साहन 2	प्रेम गणेशकुमार रामनाणी, वरिष्ठ सहयोगी	भारतीय स्टेट बैंक, बड़ोदरा
भाषिक क्षेत्र 'ग' (मातृभाषा समूह 'क' और 'ख' को छोड़कर)		
स्थान	प्रतिभागी का नाम व पदनाम	पता
प्रथम	पूर्णिमा आर. नायडु, उप प्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली
द्वितीय	बिबेकानंद पंडा, मुख्य प्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद
तृतीय	प्रबीर मैत्र, विशेष वरिष्ठ विकास सहायक	नाबार्ड, कोलकाता
प्रोत्साहन 1	तोफान माहालिक, सहायक प्रबंधक	राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली
प्रोत्साहन 2	पी. धनलक्ष्मी, प्रबंधक	पंजाब नैशनल बैंक, मिदनापुर

नोट: इस प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी दी जाती है और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को भी सीधे सूचित किया जाता है। बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता के बारे में वे अपने स्टाफ-सदस्यों को अवगत कराएँ और इसमें भाग लेने के लिए उन्हें अधिकाधिक प्रोत्साहित करें।

लेखकों से / पाठकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं है। हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए।

बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाजार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा-बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण, मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। लेखकों से यह भी अनुरोध है कि वे प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :

1. क. आपके द्वारा भेजा गया लेख बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है। यह भी सुनिश्चित करें कि लेख मौलिक विचारों पर आधारित हो अथवा किसी विचारधारा की मौलिक समीक्षा हो।

ख. लेख में किसी समसामयिक बैंकिंग समस्या पर प्रतिपक्षात्मक (कॉन्ट्रारियन) विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं बशर्ते प्रतिपक्षात्मक विचारधारा का उद्देश्य आलोचनात्मक न होकर, समीक्षात्मक हो या समस्या के बहुपक्षीय आयामों की संभावनाओं से जुड़ा हुआ हो।

ग. लेख बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी किसी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रैक्टिस पर आधारित हो ताकि नवोन्मेष (इनोवेशन) को प्रोत्साहन मिले।

घ. लेख ऐसी बैंकिंग विचारधारा, व्यवस्था या पद्धति पर आधारित हो, जिससे भारतीय बैंकिंग ग्लोबल स्तर पर स्पर्धात्मक बने।

ङ. लेख भारतीय बैंकिंग में अपनाई गई ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में हो जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकें।

2. लेख में नवीनतम और अद्यतन तथ्यों एवं आँकड़ों का उपयोग करें और उनके स्रोत/संदर्भ/वेबपेज/साइट/लिंक आदि का एकदम स्पष्ट उल्लेख करें।

3. क. लेख न्यूनतम 05 पृष्ठों के हों तथा यूनिकोड मंगल फॉन्ट (12 प्वाइंट) में ही टंकित हों। पीडीएफ़ के साथ वर्ड फ़ाइल भी संलग्न करें।

ख. वह कागज की एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित हो।

ग. लेख में यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया हो और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हों। भाषा सरल-सहज हो और व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियाँ बिल्कुल न हों।

घ. लेख rajbhashaco@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर ही भेजने की व्यवस्था की जाए।

4. इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है। प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि जब तक लेख की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

5. लेखक अपने पत्राचार का पता, फोटो, ई-मेल आईडी एवं टेलीफोन / मोबाइल नंबर अवश्य दें।

पंजीकरण संख्या: 47043 / 88